2014 का विधेयक संख्यांक 35

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन ।
4. नए प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन ।
5. धारा 10 का संशोधन ।
6. धारा 10कक का संशोधन ।
7. धारा 11 का संशोधन ।
8. धारा 12क का संशोधन ।
9. धारा 12कक का संशोधन ।
10. धारा 24 का संशोधन ।
11. धारा 32कग का संशोधन ।
12. धारा 35कघ का संशोधन ।
13. धारा 37 का संशोधन ।
14. धारा 40 का संशोधन ।
15. धारा 43 का संशोधन ।
16. धारा 44कङ का संशोधन ।
17. धारा 45 का संशोधन ।
18. धारा 47 का संशोधन ।
19. धारा 48 का संशोधन ।
20. धारा 49 का संशोधन ।
21. धारा 51 का संशोधन ।
22. धारा 54 का संशोधन ।
23. धारा 54ङग का संशोधन ।
24. धारा 54च का संशोधन ।
25. धारा 56 का संशोधन ।
26. धारा 73 का संशोधन ।
27. धारा 80ग का संशोधन ।
28. धारा 80गगघ का संशोधन ।
29. धारा 80गगङ का संशोधन ।
30. धारा 80झक का संशोधन ।
31. धारा 92ख का संशोधन ।

खंड

32. धारा 92गग का संशोधन ।
33. धारा 111क का संशोधन ।
34. धारा 112 का संशोधन ।
35. धारा 115क का संशोधन ।
36. धारा 115खखग का संशोधन ।
37. धारा 115खखघ का संशोधन ।
38. धारा 115ञग का संशोधन ।
39. धारा 115ञङङ का संशोधन ।
40. धारा 115ण का संशोधन ।
41. धारा 115द का संशोधन ।
42. धारा 115नक का संशोधन ।
43. नए अध्याय 12चक का अंतःस्थापन ।
44. धारा 116 का संशोधन ।
45. धारा 133क का संशोधन ।
46. नई धारा 133ग का अन्तःस्थापन ।
47. धारा 139 का संशोधन ।
48. धारा 140 का संशोधन ।
49. धारा 142क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
50. धारा 145 का संशोधन ।
51. धारा 153 का संशोधन ।
52. धारा 153ख का संशोधन ।
53. धारा 153ग का संशोधन ।
54. धारा 194क का संशोधन ।
55. नई धारा 194घक का अंतःस्थापन ।
56. नई धारा 194ठखक का अंतःस्थापन ।
57. धारा 194ठग का संशोधन ।
58. धारा 200 का संशोधन ।
59. धारा 200क का संशोधन ।
60. धारा 201 का संशोधन ।
61. धारा 206कक का संशोधन ।
62. धारा 220 का संशोधन ।
63. धारा 269धध का संशोधन ।
64. धारा 269न का संशोधन ।
65. धारा 271चक का संशोधन ।
66. नई धारा 271चकक का अंतःस्थापन ।
67. धारा 271छ का संशोधन ।
68. धारा 271ज का संशोधन ।
69. धारा 276घ का संशोधन ।
70. धारा 281ख का संशोधन ।
71. धारा 285खक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

72. नए प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन ।
73. धारा 3 का संशोधन ।

खंड

74. धारा 15 का संशोधन ।
75. धारा 25 का संशोधन ।
76. धारा 46 का संशोधन ।
77. धारा 127क का संशोधन ।
78. धारा 127ख का संशोधन ।
79. धारा 127ठ का संशोधन ।
80. धारा 129क का संशोधन ।
81. धारा 129ख का संशोधन ।
82. धारा 129घ का संशोधन ।
83. धारा 129ङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
84. धारा 131खक का संशोधन ।
85. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन ।

सीमाशुल्क टैरिफ

86. धारा 8ख का संशोधन ।
87. पहली अनुसूची का संशोधन ।

उत्पाद-शुल्क

88. नए प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन ।
89. धारा 2 का संशोधन ।
90. नई धारा 15क और धारा 15ख का अंतःस्थापन ।
91. धारा 31 का संशोधन ।
92. धारा 32 का संशोधन ।
93. धारा 32ङ का संशोधन ।
94. धारा 32ण का संशोधन ।
95. धारा 35ख का संशोधन ।
96. धारा 35ग का संशोधन ।
97. धारा 35ङ का संशोधन ।
98. धारा 35च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
99. धारा 35ठ का संशोधन ।
100. धारा 35द का संशोधन ।
101. पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 का संशोधन ।
102. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 का संशोधन ।
103. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का संशोधन ।
104. तीसरी अनुसूची का संशोधन ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

105. पहली अनुसूची का संशोधन ।

अध्याय 5

सेवा कर

106. 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

खंड

अध्याय 6

प्रकीर्ण

107. 2001 के अधिनियम 14 का संशोधन ।

108. 2002 के अधिनियम 58 की धारा 13 का संशोधन ।

109. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन ।

110. 2005 के अधिनियम 18 का संशोधन ।

111. 2010 के अधिनियम 14 का संशोधन ।

112. निरसन ।

पहली अनुसूची ।
दूसरी अनुसूची ।
तीसरी अनुसूची ।
चौथी अनुसूची ।
पांचवीं अनुसूची ।
छठी अनुसूची ।
सातवीं अनुसूची ।
आठवीं अनुसूची ।
नवीं अनुसूची ।

लोक सभा में 10 जुलाई, 2014
को पुरःस्थापित रूप में

2014 का विधेयक संख्यांक 35

[दि फाइनेंस (नं0 2) बिल, 2014 का हिंदी अनुवाद]

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 71 तक 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष का या उससे अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में उपबंधित रूप में और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा : 1961 का 43

परंतु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ; धारा 115ङ; धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में जिनमें, कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से, काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग

2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उनमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रहते हुए रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रहते हुए रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रहते हुए रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है या संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, उन दशाओं में और उसमें यथा उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में यथाविनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर"

की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ; धारा 115ङ; धारा 115ञख और धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(10) उन दशाओं में जिनमें, पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार संकलित राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो 'दो लाख पचास हजार रुपए' शब्दों के स्थान पर, 'तीन लाख रुपए' शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष का या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो 'दो लाख पचास हजार रुपए' शब्दों के स्थान पर, 'पांच लाख रुपए' शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें आय-कर अधिनियम के अधीन उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित धाराओं के अधीन कर की कटौती या उसका संग्रहण किया जाना है यदि स्रोत पर कर की कटौती के या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को किसी देशी कंपनी या भारत में निवासी किसी अन्य व्यक्ति को संदत्त किया गया है ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें आय-कर अधिनियम के अधीन उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित धाराओं के अधीन कर की कटौती या उसका संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती के या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को किसी देशी कंपनी या भारत में निवासी किसी अन्य व्यक्ति को संदत्त किया गया है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन। **3.** आय-कर अधिनियम की धारा 2 में, —

(I) खंड (13) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(13क) "कारबार न्यास" से ऐसा न्यास अभिप्रेत है जो अवसंरचना विनिधान न्यास या भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, जिसकी किसी इकाई का, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित सुसंगत विनियमों के अधीन किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है ;'; 1992 का 15

(II) खंड (14) में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(अ) आरंभिक भाग में, ' "पूंजी आस्ति" से किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जो निर्धारिती द्वारा धारित है, चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या न हो, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(i) उसके कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए धारित कोई व्यापार स्टाक, के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

' "पूंजी आस्ति" से,—

(क) किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है, जो किसी निर्धारिती द्वारा धारित है चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या न हो;

(ख) ऐसी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसे किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा धारित हों जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया है, 1992 का 15

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(i) उसके कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए धारित कोई व्यापार स्टाक [उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न] ';

(आ) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण को उसके "स्पष्टीकरण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है ;

(ख) "प्रतिभूतियां" पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ;'; 1956 का 42

(III) खंड (15क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 जून, 2013 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(15क) "मुख्य आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर मुख्य आयुक्त या आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है ;'

(IV) खंड (16) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 जून, 2013 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(16) "आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक या आय-कर प्रधान आयुक्त या आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है ;';

(V) खंड (21) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 जून, 2013 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(21) "महानिदेशक या निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आय-कर महानिदेशक या आय-कर प्रधान महानिदेशक या आय-कर निदेशक या आय-कर प्रधान निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो उस उपधारा के अधीन आय-कर

अपर निदेशक या आय-कर संयुक्त निदेशक या आय-कर सहायक निदेशक या आय-कर उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है ;';

(VI) खंड (24) के उपखंड (xvi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2015 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xvii) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) में निर्दिष्ट कोई धनराशि ;";

(VII) खंड (34) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

'(34क) "आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है ;

(34ख) "आय-कर प्रधान आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान आयुक्त नियुक्त किया जाता है ;

(34ग) "आय-कर प्रधान निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है ;

(34घ) "आय-कर प्रधान महानिदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया जाता है ;';

(VIII) खंड (42क) में,—

(अ) परंतुक में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(i) "किसी कंपनी में धारित शेयर या भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी अन्य प्रतिभूति" शब्दों के स्थान पर, "भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (किसी यूनिट से भिन्न) किसी प्रतिभूति" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के किसी यूनिट" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि के किसी यूनिट" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) के उपखंड (जख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जग) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी कारबार न्यास की ऐसी यूनिट है, जो धारा 47 के खंड (xvii) में यथानिर्दिष्ट शेयर या शेयरों के अंतरण के अनुसरण में आबंटित की गई है, वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके लिए निर्धारिती द्वारा ऐसा शेयर धारित किया गया था या ऐसे शेयर धारित किए गए थे ;";

(इ) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण 4**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "साधारण शेयरोन्मुख निधि" का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण में उसका है ;'।

नए प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन।

4. आय-कर अधिनियम में, जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उसके सिवाय, और जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किसी आय-कर प्राधिकारी के प्रति निर्देश के स्थान पर उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या प्राधिकारियों के प्रति निर्देश रखा जाएगा और 1 जून, 2013 से रखा गया समझा जाएगा और ऐसे पारिणामिक संशोधन भी, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अपेक्षित हों, किए जाएंगे :

सारणी

क्रम सं0	पूर्व निर्देश	नया निर्देश
1.	आयुक्त	प्रधान आयुक्त या आयुक्त
2.	निदेशक	प्रधान निदेशक या निदेशक
3.	मुख्य आयुक्त	प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त
4.	महानिदेशक	प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक।

धारा 10 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(क) खंड (23ग) में,—

(i) उपखंड (iiiकग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—उपखंड (iiiकख) और उपखंड (iiiकग) के प्रयोजनों के लिए, उनमें निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को किसी पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित समझा जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को, सरकारी अनुदान उस सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, उस विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियों की, जिनके अंतर्गत कोई स्वैच्छिक अभिदाय भी हैं, ऐसी प्रतिशतता से, जो विहित की जाए, अधिक है ।";

(ii) सत्रहवें परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है या विहित प्राधिकारी द्वारा विहित किया गया है अथवा उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और वह अधिसूचना या अनुमोदन किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां इस धारा के [उसके उपखंड (1) से भिन्न] किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट कोई बात, यथास्थिति, उस निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की ओर से उस पूर्ववर्ष के लिए प्राप्त किसी आय को उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड में, जहां किसी आय को उपयोजित किया जाना या संचित किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे प्रयोजन के लिए आय का अवधारण ऐसी किसी आस्ति की बाबत, जिसके अर्जन का दावा इस खंड के अधीन उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, किसी कटौती या मोक के बिना अवक्षयण के रूप में या अन्यथा किया जाएगा ;";

(ख) खंड (23चख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(23चग) किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य ब्याज के रूप में किसी कारबार न्यास की कोई आय।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विशेष प्रयोजन एकक" पद से ऐसी कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें कारबार न्यास नियंत्रणकारी हित और शेयरधारिता या हित की ऐसी कोई विनिर्दिष्ट प्रतिशतता धारण करता है, जो उन विनियमों द्वारा, जिनके अधीन ऐसे न्यास को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, अपेक्षित किया जाए ;

(23चघ) धारा 115पक में निर्दिष्ट ऐसी कोई वितरित आय, जो किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त की गई हो, जो आय का वह अनुपात नहीं है, जो उसी प्रकृति की है, जैसी खंड (23चग) में निर्दिष्ट की गई है ;';

(ग) खंड (38) में,—

(i) "साधारण शेयरोन्मुख निधि की कोई यूनिट" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास की कोई यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) परंतुक के पश्चात् किंतु स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस खंड के उपबंध ऐसी किसी आय की बाबत, जो किसी कारबार न्यास की ऐसी किन्हीं यूनिटों के, जो धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफल स्वरूप अर्जित की गई थीं, अंतरण से उद्भूत किसी आय की बाबत लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 10कक का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (9) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(10) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों की बाबत किया जाता है और उसे मंजूर किया जाता है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उस विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 35कघ के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।" ।

धारा 11 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6) इस धारा में जहां किसी आय का उपयोजन या संचित किया जाना या उपयोजन के लिए अलग रखा जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे प्रयोजनों के लिए, आय, ऐसी किसी आस्ति के संबंध में, जिसके अर्जन का दावा उसी या किसी

अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, किसी कटौती या मोक के बिना अवक्षयण के रूप में या अन्यथा अवधारित की जाएगी ।

(7) जहां किसी न्यास या संस्था को धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उसने धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है तो धारा 10 में अंतर्विष्ट कोई बात [उसके खंड (1) और खंड (23ग) से भिन्न] न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित होगी।"।

1996 का 33

8. आय-कर अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— धारा 12क का संशोधन।

"परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 12कक के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है, वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष की न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न ऐसी आय के संबंध में, जिसके लिए निर्धारण कार्यवाहियां ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हैं और ऐसे न्यास या संस्था के उद्देश्य और क्रियाकलाप, ऐसे पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए समान बने रहते हैं :

परंतु यह और कि धारा 147 के अधीन कोई कार्रवाई, निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे न्यास या संस्था की दशा में, उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उस न्यास या संस्था का केवल रजिस्ट्रीकरण न किए जाने के कारण पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष के लिए नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि पहले और दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध किसी ऐसे न्यास या संस्था की दशा में लागू नहीं होंगे, जिसके रजिस्ट्रीकरण से धारा 12कक के अधीन इंकार कर दिया गया है या उसे मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण को किसी समय रद्द कर दिया गया है ।"।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 12कक का संशोधन।

"(4) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी न्यास या किसी संस्था को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उसने धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और तत्पश्चात् यह अवेक्षा की जाती है कि न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करने के लिए लागू नहीं होते हैं, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उस न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकेगा :

1996 का 33

परंतु इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण उस दशा में रद्द नहीं किया जाएगा यदि न्यास या संस्था यह साबित कर देती है कि क्रियाकलापों को उक्त रीति से किए जाने के लिए युक्तियुक्त कारण था ।"।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 24 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे । धारा 24 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 32कग में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 32कग का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

"(1क) जहां कोई निर्धारिती, जो कंपनी है, किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, नई आस्तियां अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित और प्रतिष्ठापित की गई नई आस्तिओं की वास्तविक लागत राशि पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कटौती ऐसे निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा करने का पात्र है ।

(1ख) उपधारा (1क) के अधीन कोई कटौती 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी।";

(ii) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 35कघ का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(क) उपधारा (3) में, "शीर्षक के अधीन" शब्दों के पश्चात्, "धारा 10कक और" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में,—

(i) खंड (कज) में, अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (कज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कझ) 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन बिछाने और उसके प्रचालन की प्रकृति का है ;

(कञ) 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार किसी अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की स्थापना और उसके प्रचालन की प्रकृति का है और जो बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित हो ; और";

(ग) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'(7क) ऐसी कोई आस्ति, जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, केवल विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित या सन्निर्मित की जाती है, आरंभ होने वाले आठ वर्षों की अवधि के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

(7ख) जहां ऐसी कोई आस्ति, जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार के लिए धारा 28 के खंड (vii) में निर्दिष्ट ढंग से भिन्न रूप में उपयोग में लाई जाती है, वहां एक या अधिक पूर्ववर्षों में इस प्रकार दावा की गई और अनुज्ञात की गई कटौती की कुल रकम को, जो धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटाकर आए, निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की, जिसमें आस्ति का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(7ग) उपधारा (7ख) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी कंपनी को लागू नहीं होगी जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन, उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई है ।"; 1986 का 1

(घ) उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(xii) लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन को बिछाना और उसका प्रचालन ;

(xiii) बोर्ड द्वारा अधिसूचित अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, स्थापना और उसका प्रचालन ;"।

धारा 37 का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों पर उपगत किसी व्यय को कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा ।"। 2013 का 18

धारा 40 का संशोधन।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(क) उपखंड (i) में,—

(I) "पूर्ववर्ष में" से आरंभ होने वाले शब्दों और "के अधीन संदाय नहीं किया गया है" पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पहले संदाय नहीं किया गया है" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(II) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां ऐसी किसी राशि की बाबत कर की कटौती किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में की गई है या कटौती पूर्ववर्ष के दौरान की गई है किन्तु उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख के पश्चात् किया

गया है, वहां ऐसी राशि को ऐसे पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है ।";

(ख) उपखंड (ik) में,—

(I) "किसी निवासी को संदेय कोई ब्याज" से प्रारंभ होने वाले शब्दों और "ठेकेदार या उप ठेकेदार, जो निवासी है, को संदेय रकम" पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "किसी निवासी को संदेय किसी राशि का तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) पहले परंतुक में, "वहां उस राशि" शब्दों के पश्चात् "के तीस प्रतिशत" शब्द अंतःस्थापित किया जाएंगे ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (ङ) में, "कोई पात्र संव्यवहार, जो मान्यताप्राप्त संगम में किया गया हो" शब्दों के स्थान पर, "किसी मान्यताप्राप्त संगम में किया गया ऐसा कोई पात्र संव्यवहार, जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 के अधीन वस्तु संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य हो" शब्द रखे जाएंगे । धारा 43 का संशोधन।

2013 का 17

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44कङ में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 44कङ का संशोधन।

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक माल वाहन से लाभ और अभिलाभ, ऐसे प्रत्येक मास या मास के ऐसे भाग के लिए, जिसके दौरान माल वाहन पूर्ववर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, सात हजार पांच सौ रुपए के बराबर रकम या वह रकम होगी, जिसके लिए यह दावा किया गया है कि वह ऐसे यान से वस्तुतः अर्जित की गई है, इनमें से जो भी अधिक हो ।";

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "माल वाहन" पद का वह अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 में उसका है ;'।

1988 का 59

17. आय-कर अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (5) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 45 का संशोधन।

'परंतु किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी अंतरिम आदेश के अनुसरण में प्राप्त प्रतिकर की किसी रकम को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का अंतिम आदेश किया जाता है, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ;'।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 47 का संशोधन।

(क) खंड (vii क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(vii ख) किसी पूंजी आस्ति का, जो ऐसी सरकारी प्रतिभूति है, जिस पर ब्याज का कालिक संदाय किया जाता है, किसी अनिवासी द्वारा किसी दूसरे अनिवासी को प्रतिभूतियों का निपटारा करने वाले किसी मध्यवर्ती के माध्यम से भारत के बाहर कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है;';

1956 का 42

(ख) खंड (xvi) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xvii) किसी पूंजी आस्ति का जो विशेष प्रयोजन एकक का शेयर है किसी अंतरणकर्ता को किसी कारबार न्यास द्वारा आबंटित यूनिटों के विनिमय में उस न्यास को कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विशेष प्रयोजन एकक" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (23चग) के स्पष्टीकरण में उसका है ।'।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) में, "शारीरिक श्रम न करने वाले नगरीय कर्मचारियों के लिए ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्वगामी वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्वगामी वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नगरीय)" शब्द और कोष्ठक, 1 अप्रैल, 2016 से रखे जाएंगे । धारा 48 का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2कख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 49 का संशोधन।

"(2कग) जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कारबार न्यास की इकाई है, धारा 47 के खंड (xvii) में यथा निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत, उक्त खंड में निर्दिष्ट शेयर के अर्जन की उसकी लागत समझी जाएगी ।"।

धारा 51 का संशोधन। **21.** आय-कर अधिनियम की धारा 51 में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में किसी अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त हुई कोई धनराशि, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गई है, वहां ऐसी राशि की अर्जन की लागत की संगणना करने में, यथास्थिति, ऐसी लागत से, जिसके लिए आस्ति अर्जित की गई थी या अवलिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी।"।

धारा 54 का संशोधन। **22.** आय-कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) में "कोई निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है," शब्दों के स्थान पर, "भारत में एक निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे ।

धारा 54ङग का संशोधन। **23.** आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें मूल आस्ति या आस्तियां अंतरित की जाती हैं, एक या अधिक मूल आस्तियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया जाता है और वह पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक का नहीं है ।"।

धारा 54च का संशोधन। **24.** आय-कर अधिनियम की धारा 54च की उपधारा (1) में, "कोई निवास गृह (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है," शब्दों के स्थान पर, "भारत में कोई निवास गृह (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे ।

धारा 56 का संशोधन। **25.** आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ix) किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में किसी अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त कोई धनराशि, यदि,—

(क) ऐसी रकम समपहृत हो जाती है ; और

(ख) ऐसी बातचीत के परिणामस्वरूप ऐसी पूंजी आस्ति का अंतरण नहीं होता है ।"।

धारा 73 का संशोधन। **26.** आय-कर अधिनियम की धारा 73 के स्पष्टीकरण में, "जिसका मुख्य कारबार बैंककारी है" शब्दों के स्थान पर, "जिसका मुख्य कारबार शेयरों में व्यापार करने का या बैंककारी का है" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे ।

धारा 80ग का संशोधन । **27.** आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (1) में, "एक लाख" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे ।

धारा 80गगघ का संशोधन । **28.** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(i) "जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के अधीन कटौती की रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 80गगङ का संशोधन । **29.** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगङ में, "एक लाख" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार" शब्द, 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे ।

धारा 80झक का संशोधन । **30.** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में, "31 मार्च, 2014" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2017" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे।

धारा 92ख का संशोधन। **31.** आय-कर अधिनियम की धारा 92ख की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(i) "संव्यवहार के बारे में" शब्दों के स्थान पर, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के बारे में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "सुसंगत व्यवहार के निबंधन ऐसे किसी व्यक्ति और सहयुक्त उद्यम के बीच" शब्दों के पश्चात्, "जहां उद्यम या सहयुक्त उद्यम या वे दोनों अनिवासी हैं, इस बात को विचार में लिए बिना कि ऐसा अन्य व्यक्ति कोई अनिवासी है या नहीं," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 92गग की उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 92गग का संशोधन।

"(9क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, असन्निकट कीमत का अवधारण करने का उपबंध किया जा सकेगा या उस रीति को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जिसमें असन्निकट कीमत को किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्ववर्षों के प्रथम पूर्ववर्ष से पहले के चार पूर्ववर्षों से अनधिक की किसी अवधि के दौरान किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारित किया जा सकेगा और उस अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत उक्त करार के अनुसार अवधारित की जाएगी।"।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 111क का संशोधन।

(अ) "साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई" शब्दों के स्थान पर "साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिट या किसी कारबार न्यास की यूनिट" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध कारबार न्यास की ऐसी यूनिटों के अंतरण से उद्भूत किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे, जो धारा 47 के खंड (xvii) में यथा निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफल स्वरूप निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई थीं ।"।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 112 का संशोधन।

(क) खंड (घ) के पश्चात् आने वाले परंतुक में, "जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट या जीरो कूपन बंधपत्र हैं" शब्दों के स्थान पर, "जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या जीरो कूपन बंधपत्र हैं" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (ख) का लोप किया जाएगा ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 115क का संशोधन।

(I) उपखंड (iiकख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiकग) वितरित आय, जो धारा 194ठखक की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज है ;";

(II) मद (आअ) में, "उपखंड (iiकख)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या उपखंड (iiकग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(III) मद (ई) में, "उपखंड (iiकख)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, ", उपखंड (iiकग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग की उपधारा (1) के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2015 से रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 115खखग का संशोधन।

"(ii) आय-कर की वह रकम, जिसके लिए निर्धारिती प्रभार्य होता यदि उसकी कुल आय में से खंड (i) के, यथास्थिति, उपखंड (अ) या उपखंड (आ) में निर्दिष्ट अधिक रकम के प्राप्त अनाम संदानों के योग को घटा दिया जाता।"।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ की उपधारा (1) में, "1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए" अंकों और शब्दों का 1 अप्रैल, 2015 से लोप किया जाएगा । धारा 115खखघ का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 115ञग का संशोधन।

(क) खंड (i) में, अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) में, "कटौतियों से, यदि कोई हों;" शब्दों के स्थान पर "कटौतियों से, यदि कोई हों ; और" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) धारा 35कघ के अधीन दावा की गई कटौती से, यदि कोई हो, जो धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटा कर आए मानो कि धारा 35कघ के अधीन ऐसी आस्तियों की बाबत, जिन पर उस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई हो ;"।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञडङ में 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 115ञडङ का संशोधन।

(अ) उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) धारा 10कक के अधीन ; या

(ग) धारा 35कघ के अधीन ।";

(आ) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 115ञग के अधीन संदत्त कर के लिए प्रत्यय धारा 115ञघ के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।"।

धारा 115ण का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1क) के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) इस धारा के अनुसार संदेय वितरित लाभों पर कर के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में कोई रकम, जो उपधारा (1क) में निर्दिष्ट रकम को घटाकर आए [जिसे इसके पश्चात् शुद्ध वितरित लाभ कहा गया है], उतनी रकम तक बढ़ा दी जाएगी, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी बढ़ाई गई रकम पर कर को घटाने के पश्चात् शुद्ध वितरित लाभों के बराबर हो ।"।

धारा 115द का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 115द में,—

(क) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2014 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (2) के अनुसार संदेय अतिरिक्त आय-कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, उसमें निर्दिष्ट वितरित आय की रकम, उतनी रकम तक, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी बढ़ाई गई रकम पर अतिरिक्त आय-कर को घटाने के पश्चात्, बढ़ा दी जाएगी जो पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय की रकम के बराबर हो ।";

(ख) उपधारा (3क) का, 1 अप्रैल, 2015 से, लोप किया जाएगा ।

धारा 115नक का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 115नक की उपधारा (3) का, 1 अप्रैल, 2015 से लोप किया जाएगा ।

नए अध्याय 12चक का अंतःस्थापन।

43. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12च के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 12चक

कारबार न्यास से संबंधित विशेष उपबंध

यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर ।

115पक. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित किसी आय को उसी प्रकृति की और यूनिट धारक के पास की उसी अनुपात में की आय समझी जाएगी मानो वह कारबार न्यास द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे उपगत हुई हो ।

(2) धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कारबार न्यास की कुल आय पर कर अधिकतम सीमांत दर से प्रभारित किया जाएगा ।

(3) यदि किसी पूर्ववर्ष में, किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग, धारा 10 के खंड (23चग) में यथानिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो वितरित आय या उसके भाग को उस यूनिट धारक की आय समझा जाएगा और उस पर पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर प्रभारित किया जाएगा ।

(4) किसी कारबार न्यास की ओर से किसी यूनिट धारक को वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, यूनिट धारक और विहित प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा रीति से, जो विहित किए जाएं, उसमें पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, देते हुए, एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।"।

धारा 116 का संशोधन ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 116 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) आय-कर प्रधान महानिदेशक या आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त ;";

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) आय-कर प्रधान निदेशक या आय-कर प्रधान आयुक्त ;"।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 133क में, 1 अक्तूबर, 2014 से,— धारा 133क का संशोधन ।

(I) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उपधारा के अधीन कार्य कर रहा आय-कर प्राधिकारी, इस बात का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए कि कर, यथास्थिति, अध्याय 17 के उपशीर्ष ख या अध्याय 17 के उपशीर्ष खख के अधीन के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटा गया या संगृहीत किया गया है, ऐसे किसी कार्यालय या किसी अन्य स्थान में, जहां कारबार या वृत्ति की गई है, उसे सौंपे गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसे किसी स्थान में, जिसकी बाबत, वह ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा, जिसे वह क्षेत्र सौंपा गया है, जिसके भीतर ऐसा स्थान स्थित है जहां लेखा पुस्तकें या दस्तावेज रखे गए हैं, इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत हैं, सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व, प्रवेश कर सकेगा और कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस समय और स्थान पर उस कार्य के लिए किसी रीति में उपस्थित हो,—

(i) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का, जिनकी वह अपेक्षा करे और जो उस स्थान पर उपलब्ध हों, निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने की ; और

(ii) ऐसी सूचना, जिसकी वह ऐसे विषय के संबंध में अपेक्षा करे, प्रदान करने की,

अपेक्षा कर सकेगा ।";

(II) उपधारा (3) के खंड (ik) के परंतुक के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) उसके लिए, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए (अवकाश दिनों को छोड़कर) कोई ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा; ";

(iii) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु उपधारा (2क) के अधीन कार्य करने वाले किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा खंड (ik) या खंड (ii) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।"।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 133ख के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नई धारा 133ग का अंतःस्थापन।

'133ग. विहित आय-कर प्राधिकारी, अपने कब्जे में की किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को कोई सूचना, उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा । विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मंगाने की शक्ति।

स्पष्टीकरण--इस धारा में, "कार्यवाही" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 133क के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसका है ।'।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 139 का संशोधन।

(क) उपधारा (4ग) में,—

(i) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङक) धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट पारस्परिक निधि ;

(ङख) धारा 10 के खंड (23घक) में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास ;

(ङग) धारा 10 के खंड (23चख) में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ;";

(ii) "या अवसंरचना ऋण निधि" शब्दों के पश्चात्, "या पारस्परिक निधि या प्रतिभूतिकरण न्यास या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4ङ) ऐसा प्रत्येक कारबार न्यास, जिससे इस धारा के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन आय या हानि की विवरणी देना अपेक्षित नहीं है, प्रत्येक पूर्ववर्ष में अपनी आय या हानि की बाबत अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे मानो यह उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई विवरणी हो ।" ।

धारा 140 का संशोधन।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 140 में, 1 अक्तूबर, 2014 से,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "हस्ताक्षरित" शब्द के स्थान पर, "सत्यापित" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) "हस्ताक्षरित और सत्यापित" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "सत्यापित" शब्द रखा जाएगा;

(iii) "हस्ताक्षरित और सत्यापित" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "सत्यापित" शब्द रखा जाएगा ;

(iv) खंड (क) में,—

(क) उपखंड (iv) में, "पर हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर, "का सत्यापन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, "पर हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर, "का सत्यापन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 142क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 142क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 अक्तूबर, 2014 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा आस्तियों के मूल्य का प्राक्कलन।

'142क. (1) निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजनों के लिए, मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य, जिसके अंतर्गत उचित बाजार मूल्य भी है, का प्राक्कलन करने और रिपोर्ट की एक प्रति उसे प्रस्तुत करने का निर्देश कर सकेगा ।

(2) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन इस बात का कोई निर्देश कर सकेगा कि उसका, निर्धारिती के लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता के बारे में, समाधान हो गया है अथवा नहीं ।

(3) मूल्यांकन अधिकारी को, उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी निर्देश पर आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य का प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए, वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन उसे प्राप्त हैं । 1957 का 27

(4) मूल्यांकन अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे साक्ष्य पर, जो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाए और उसके कब्जे से एकत्रित किसी अन्य साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित करेगा ।

(5) मूल्यांकन अधिकारी, यदि निर्धारिती सहयोग नहीं करता है या उसके निदेशों का अनुपालन नहीं करता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित कर सकेगा ।

(6) मूल्यांकन अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, छह मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्राक्कलन करने की रिपोर्ट की प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा ।

(7) निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने में ऐसी रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (द) में उसका है ।'। 1957 का 27

धारा 145 का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 145 में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(i) उपधारा (2) में, "अनुसरण किए जाने वाले लेखा पद्धति मानकों" शब्दों के स्थान पर, "अनुसरण की जाने वाली आय की संगणना की रीति और प्रकटन मानकों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, "या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार आय की संगणना नहीं की गई है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 153 का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, अवधि ; या"।

धारा 153ख का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, अवधि ; या"।

धारा 153ग का संशोधन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (1) में, अंत में किंतु प्रथम परन्तुक के पूर्व आने वाले "और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करेगा ।" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "और वह निर्धारण अधिकारी, प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसार अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करेगा यदि उस निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि लेखा बहियां या दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां, धारा 153क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के अवधारण से संबंधित हैं ।" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अक्तूबर, 2014 से रखे जाएंगे ।

धारा 194क का संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड ,1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xi) किसी ऐसी आय को लागू होंगे, जो धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में हो ।"।

नई धारा 194घक का अंतःस्थापन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 194घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय।

"194घक. कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को, जीवन बीमा पालिसी के अधीन किसी राशि का, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित ऐसी राशि भी है जो धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य रकम से भिन्न है, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसके संदाय के समय उस पर दो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले की, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम, एक लाख रुपए से कम है ।"।

नई धारा 194ठखक का अंतःस्थापन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय।

"194ठखक. (1) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को,जो निवासी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा संदाय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

(2) जहां, धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो अनिवासी है, जो कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा संदाय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।"।

धारा 194ठग का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग में, 1 अक्तूबर, 2014 से,—

(अ) उपधारा (1) में, "किसी विनिर्दिष्ट कंपनी" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपधारा (2) में,—

(क) आरंभिक भाग में, "विनिर्दिष्ट कंपनी" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा,—

(क) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व किसी समय ऋण करार के अधीन ; या

(ख) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अक्तूबर, 2014 के पूर्व किसी समय दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के निर्गमन के रूप में ; या

(ग) 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व किसी समय किसी दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र भी है, के निर्गमन के रूप में,

भारत के बाहर किसी स्रोत से, विदेशी करेंसी में, उधार ली गई ऐसी धनराशियों की बाबत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाएं ; और"।

धारा 200 का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु वह व्यक्ति, किसी भूल की परिशुद्धि के लिए या इस उपधारा के अधीन परिदत्त विवरण में दी गई सूचना में कुछ जोड़ने, हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित एक संशोधन विवरण उस प्राधिकारी को परिदत्त भी कर सकेगा ।"।

धारा 200क का संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 200क की उपधारा (1) में, "जहां स्रोत पर कर की कटौती का विवरण" शब्दों के पश्चात्, "या संशोधन विवरण" शब्द, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 201 का संशोधन।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2014 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) के अधीन, भारत में निवासी किसी व्यक्ति को संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफलता के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 206कक का संशोधन।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (7) में, "अवसंरचना" शब्द का, 1 अक्तूबर, 2014 से लोप किया जाएगा ।

धारा 220 का संशोधन।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 220 में, 1 अक्तूबर, 2014 से,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां किसी मांग सूचना की किसी निर्धारिती पर तामील की गई है और उक्त मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत, यथास्थिति, ऐसी कोई अपील फाइल की जाती है या अन्य कार्यवाही आरंभ की जाती है, वहां ऐसी मांग को, यथास्थिति, अंतिम अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटारा किए जाने तक या कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने तक विधिमान्य समझा जाएगा और ऐसी किसी मांग सूचना का, कराधान विधियां (वसूली की कार्यवाहियों का चालू रखा जाना और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1964 की धारा 3 में यथाविनिर्दिष्ट प्रभाव होगा।";

1964 का 11

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट धाराओं के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप उस रकम को, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, कम कर दिया गया था और तत्पश्चात्, उक्त धाराओं या धारा 263 के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप उस रकम को, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, बढ़ा दिया जाता है, वहां निर्धारिती, उपधारा (1) में निर्दिष्ट पहली मांग सूचना में वर्णित किसी अवधि के अंत से ठीक बाद के दिन से और उस दिन तक, जिसको रकम का संदाय किया जाता है, उपधारा (2) के अधीन ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा :";

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 269धध का संशोधन।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 269धध के आरंभिक भाग में, "पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके" शब्द, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 269न का संशोधन।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 269न के आरंभिक भाग में, "देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके" शब्द, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 271चक का संशोधन।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 271चक में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "वार्षिक सूचना विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "वार्षिक सूचना विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "ऐसी विवरणी" और "विवरणी" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, क्रमशः "ऐसा विवरण" और "विवरण" शब्द रखे जाएंगे।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 271चक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2015 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271चकक का अंतःस्थापन।

"271चकक. (1) यदि धारा 285खक की उपधारा (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे उस धारा के अधीन कोई विवरण देने की अपेक्षा की जाती है, उस विवरण में गलत सूचना देता है, और जहां,— वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति।

(क) अशुद्धि, धारा 285खक की उपधारा (7) में विहित सम्यक् तत्परता की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता के कारण हुई है या उस व्यक्ति की ओर से जानूबझकर की गई है; या

(ख) व्यक्ति को, वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करते समय अशुद्धि के बारे में जानकारी है किन्तु वह विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को सूचित नहीं करता है ; या

(ग) व्यक्ति को अशुद्धि के बारे में वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् पता चलता है और वह धारा 285खक की उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने और सही सूचना देने में असफल रहता है,

वहां विहित आय-कर प्राधिकारी उस व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।"।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 271छ में, "निर्धारण अधिकारी" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 92गक में यथानिर्दिष्ट अंतरण मूल्यांकन अधिकारी" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 271छ का संशोधन ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 271ज की उपधारा (1) में, आरम्भिक भाग में, "कोई व्यक्ति शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि कोई व्यक्ति शास्ति के रूप में संदाय करेगा" शब्द 1 अक्तूबर, 2014 से रखे जाएंगे । धारा 271ज का संशोधन ।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 276घ में, "या जुर्माने से जो हर दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, चार रुपए से अन्यून या दस रुपए से अनधिक की दर से संगणित राशि के बराबर होगा, या दोनों सें" शब्दों के स्थान पर "और जुर्माने से" शब्द, 1 अक्तूबर, 2014 से रखे जाएंगे । धारा 276घ का संशोधन ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 281ख की उपधारा (2) में, 1 अक्तूबर, 2014 से,— धारा 281ख का संशोधन ।

(i) पहले परंतुक में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष या निर्धारण अथवा पुनःनिर्धारण के आदेश की तारीख के पश्चात् साठ दिन, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परन्तुक तथा तीसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2015 से रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 285खक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'285खक. (1) कोई व्यक्ति, जो— वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता ।

(क) कोई निर्धारिती है ; या

(ख) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति है ; या

(ग) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है ; या

1908 का 16 (घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार है ; या

1988 का 59 (ङ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है ; या

1898 का 6 (च) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट महाडाकपाल है ; या

2013 का 30 (छ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खंड (छ) में निर्दिष्ट कलक्टर है ; या

1956 का 42 (ज) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है ; या

1934 का 2 (झ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है; या

1996 का 22 (ञ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है ; या

(ट) कोई विहित रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था है,

जो किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार को या ऐसे किसी रिपोर्ट योग्य खाते को, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित किया जाए, रजिस्टर करने या उसकी लेखा बहियां या उसके अभिलेख वाले अन्य दस्तावेज को रखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या ऐसे रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में, जो उसके द्वारा

रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए गए हैं या रखे गए हैं और जिससे संबंधित सूचना इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, एक विवरण, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण, ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में प्रस्तुत किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) माल या संपत्ति या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय का कोई संव्यवहार; या

(ख) कोई सेवा देने के लिए कोई संव्यवहार ; या

(ग) किसी संकर्म संविदा के अधीन कोई संव्यवहार ; या

(घ) किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में कोई संव्यवहार ; या

(ङ) कोई ऋण लेने या निक्षेप या प्रतिगृहीत करने के लिए कोई संव्यवहार,

जो विहित किया जाए :

परन्तु बोर्ड, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के संबंध में भिन्न-भिन्न संव्यवहारों के लिए, ऐसे संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न मूल्य विहित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस प्रकार विहित किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहारों का, यथास्थिति, मूल्य या कुल मूल्य पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

(4) जहां, विहित आय-कर प्राधिकारी का यह विचार है कि उपधारा (1) के अधीन दिया गया विवरण त्रुटिपूर्ण है, वहां वह उस व्यक्ति को, जो ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है, त्रुटि की सूचना दे सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर, विहित आय-कर प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, उसे त्रुटि की परिशुद्धि करने का अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, तीस दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विवरण को अविधिमान्य विवरण माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है ।

(5) जहां, किसी व्यक्ति ने, जिससे उपधारा (1) के अधीन कोई विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, उसको विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी उस व्यक्ति पर एक सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर उससे ऐसा विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी और वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (5) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के अनुसरण में विवरण प्रस्तुत किए जाने पर विवरण में दी गई सूचना में की कोई अशुद्धि जानकारी में आती है या उसका पता चलता है, तो वह दस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, उस विवरण में की अशुद्धि की सूचना देगा और सही सूचना ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए।

(7) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना है ;

(ख) सूचना की प्रकृति और वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें ऐसी सूचना, खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखी जाएगी ; और

(ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रिपोर्ट योग्य खाते की पहचान के प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी सम्यक् तत्परता को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।'।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

नए प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन।

72. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के प्रति निर्देश को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या प्राधिकारियों के प्रति निर्देश से प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसे पारिणामिक परिवर्तन भी, जो व्याकरण के नियमों के रूप में अपेक्षित हों, किए जाएंगे : 1962 का 52

सारणी

क्रम सं0	(1)	(2)
1.	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त	सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त
2.	सीमाशुल्क आयुक्त	सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त ।

73. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (गग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— धारा 3 का संशोधन।

"(क) सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त ;

(ख) सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त ;

(ग) सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त ;

(घ) सीमाशुल्क आयुक्त ;

(ङ) सीमाशुल्क आयुक्त (अपील) ;

(च) सीमाशुल्क संयुक्त आयुक्त ;

(छ) सीमाशुल्क उप आयुक्त ;

(ज) सीमाशुल्क सहायक आयुक्त ;

(झ) सीमाशुल्क अधिकारियों का ऐसा अन्य वर्ग, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया जाए ।"।

74. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के परंतुक में, "वायुयान" शब्द के पश्चात्, "या यान" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 15 का संशोधन।

75. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— धारा 25 का संशोधन।

"(7) राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 6 और धारा 7 में यथा निर्दिष्ट क्रमशः भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निष्कर्षित या उत्पादित और 7 फरवरी, 2002 के पूर्व आयातित खनिज तेलों को (जिनके अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी हैं) ऐसे खनिज तेलों पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से छूट प्राप्त समझा जाएगा और सदैव से छूट प्राप्त समझा जाएगा तथा तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे खनिज तेलों की बाबत किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी । 1976 का 80

(8) उपधारा (7) के अधीन उपबंधित छूट के होते हुए भी, उसमें विनिर्दिष्ट खनिज तेलों की बाबत संदत्त सीमाशुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।" ।

76. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) में,— धारा 46 का संशोधन।

(i) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि ऐसे जलयान या वायुयान या यान के बारे में, जिसके द्वारा माल भारत में आयात के लिए भेजा गया है, यह आशा की जाती है कि वह ऐसे प्रवेश पत्र या रिपोर्ट के पेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर पहुंच जाएगा तो वह प्रवेश पत्र ऐसी सूची या रिपोर्ट दिए जाने के पूर्व भी पेश किया जा सकता है ।"।

77. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क के खंड (च) में, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग" शब्द रखे जाएंगे । धारा 127क का संशोधन।

78. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख में,— धारा 127ख का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) आवेदक ने, यथास्थिति, डाक या कुरियर के माध्यम से आयातित या निर्यातित माल की बाबत प्रवेश पत्र या पोत पत्र या निर्यात पत्र फाइल किया है या यात्री सामान की घोषणा की है या उस पर लेबल लगाया है अथवा घोषणा की है और ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों के संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा उसे हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर दी गई है ;";

(ii) खंड (ग) में, "धारा 28कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 28कक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जांएगे ;

(iii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 127ठ का संशोधन ।

79. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ की उपधारा (1) के खंड (i) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस खंड में, शुल्क दायित्व की विशिष्टियों को छिपाया जाना, सीमाशुल्क अधिकारी से ऐसे किसी छिपाए जाने के संबंध में है ।"।

धारा 129क का संशोधन ।

80. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क की,—

(i) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1ख) के खंड (i) में, "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "आदेश द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 129ख का संशोधन ।

81. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख की उपधारा (2क) के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 129घ का संशोधन ।

82. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु बोर्ड, दर्शित किए गए पर्याप्त कारण से, उक्त अवधि को और तीस दिन के लिए बढ़ा सकेगा ।"।

धारा 129ङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

83. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"129ङ. यथास्थिति, अधिकरण या आयुक्त (अपील),—

अपील फाइल किए जाने के पूर्व मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति की कतिपय प्रतिशतता का जमा किया जाना।

(i) धारा 128 की उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि अपीलार्थी ने सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति के किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति या दोनों का साढ़े सात प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो;

(ii) धारा 129क की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति या दोनों का साढ़े सात प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो ;

(iii) धारा 129क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति या दोनों का दस प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो :

परंतु इस धारा के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के पूर्व लंबित रोक संबंधी आवेदनों और अपीलों को लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 131खक का संशोधन।

84. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 131खक की उपधारा (4) में, "अपील अधिकरण या न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

85. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जैसी दूसरी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट है, उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से तत्स्थानी तारीख तक संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) केंद्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी ।

(3) ऐसे सभी सीमाशुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किंतु जो उस दशा में इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन सीमाशुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा ।

(5) किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन नहीं किया गया होता ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए क्रम सं0 141 के सामने विनिर्दिष्ट टैरिफ मदों के संबंध में "तत्स्थानी तारीख" से 8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

86. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 8ख की उपधारा (2क) में,— धारा 8ख का संशोधन।

(क) "तब तक, जब तक कि" शब्दों से आरंभ होने वाले और "वस्तुओं को लागू नहीं होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में के शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को लागू नहीं होगा, जब तक कि,—

(i) वह, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचनाओं या ऐसे अधिरोपणों में विनिर्दिष्ट रूप से लागू न किया गया हो ; या

(ii) आयातित वस्तु की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी की गई है या ऐसे किसी माल के, जिसकी घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी की गई हो, विनिर्माण में उपयोग में लाई गई है और ऐसे मामलों में रक्षोपाय शुल्क उस वस्तु के, जिसकी इस प्रकार निकासी की गई है या इस प्रकार उपयोग में लाई गई है, उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जो उस समय उद्ग्रहणीय था जब वह भारत में लाई गई थी ।";

(ख) स्पष्टीकरण में, "मुक्त व्यापार क्षेत्र" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

87. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा। पहली अनुसूची का संशोधन।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1
1994 का 32

88. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) में या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के प्रति निर्देश को, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या प्राधिकारियों के प्रति निर्देश से प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसे पारिणामिक परिवर्तन भी, जो व्याकरण के नियमों के रूप में अपेक्षित हों, किए जाएंगे : नए प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन।

सारणी

क्रम सं0	(1)	(2)
1.	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त
2.	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त

89. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे । धारा 2 का संशोधन।

90. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 15क और धारा 15ख का अंतःस्थापन ।

"15क. (1) कोई व्यक्ति जो,— सूचना विवरण देने की बाध्यता ।

(क) निर्धारिती है ; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है ; या

(ग) राज्य सरकार का कोई ऐसा प्राधिकारी है, जो मूल्य वर्धित कर या विक्रय-कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है; या

1961 का 43 (घ) आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आय-कर प्राधिकारी है ; या

1934 का 2 (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) के अर्थान्तर्गत कोई बैंककारी कंपनी है; या

2003 का 36 (च) यथास्थिति, विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड, या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई अन्य इकाई है, जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्य सौंपे गए हैं ; या

1908 का 16 (छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार है ; या

2013 का 18 (ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार है ; या

1988 का 59 (झ) ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, जो मोटर यान अधिनियम,1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सशक्त है ; या

(ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर है ; या 2013 का 30

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज है ; या 1956 का 42

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है ; या 1996 का 22

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा कोई अधिकारी है, 1934 का 2

जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लेखाओं के रजिस्ट्रीकरण या विवरण या किसी कालिक विवरणी या दस्तावेज, जिसमें कर के संदाय के ब्यौरे और अन्य ब्यौरे हों या माल अथवा सेवाओं के संव्यवहार या किसी बैंक खाते से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या माल अथवा संपत्ति के क्रय, विक्रय या विनिमय के संव्यवहार अथवा किसी संपत्ति में के अधिकार या हित से संबंधित अभिलेख बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी अवधियों की बाबत उसकी एक सूचना विवरणी ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है) और रीति में ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण को प्रस्तुत करेगा जो विहित किया जाए ।

(2) जहां विहित प्राधिकारी का यह विचार है कि सूचना विवरणी में प्रस्तुत की गई सूचना त्रुटिपूर्ण है, वहां वह उस त्रुटि की संसूचना उस व्यक्ति को दे सकेगा जिसने ऐसी सूचना विवरणी प्रस्तुत की है और उस त्रुटि को ऐसी संसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो इस निमित्त आवेदन किए जाने पर विहित प्राधिकारी अनुज्ञात करे, सुधारने का अवसर प्रदान करेगा और यदि उस त्रुटि को, यथास्थिति, तीस दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात अतिरिक्त अवधि के भीतर सुधारा नहीं जाता है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना विवरणी को प्रस्तुत न किया गया समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

(3) जहां ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिससे सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे प्रस्तुत नहीं किया है, तो विहित प्राधिकारी उस पर ऐसी सूचना की यह अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा कि ऐसी सूचना विवरणी ऐसी सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाए और ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

सूचना विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

15ख. यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 15क के अधीन सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति, उस अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करे ।"।

धारा 31 का संशोधन।

91. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के खंड (छ) में, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 32 का संशोधन।

92. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 32ङ का संशोधन।

93. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) पहले परंतुक के खंड (घ) में, "धारा 11कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 11कक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जांएगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (क) में निर्दिष्ट विवरणी फाइल न किए जाने की परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् अपीलार्थी को ऐसा आवेदन करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह भी कि";

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 32ण का संशोधन।

94. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण की उपधारा (1) के खंड (i) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड में, शुल्क दायित्व की विशिष्टियों को छिपाया जाना, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से छिपाए जाने से संबंधित है ।"।

95. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख में,— धारा 35ख का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1ख) के खंड (i) में, "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "आदेश द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

96. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग की उपधारा (2क) के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा । धारा 35ग का संशोधन।

97. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 35ङ का संशोधन।

"परंतु बोर्ड, दर्शित किए गए पर्याप्त कारण से उक्त अवधि को और तीस दिन के लिए बढ़ा सकेगा।"।

98. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 35च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'35च. यथास्थिति, अधिकरण या आयुक्त (अपील),—

(i) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि अपीलार्थी ने केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त से निम्नतर पंक्ति के किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति या दोनों का साढ़े सात प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो; अपील फाइल किए जाने के पूर्व मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति की कतिपय प्रतिशतता का जमा किया जाना।

(ii) धारा 35ख की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति या दोनों का साढ़े सात प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो ;

(iii) धारा 35ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति या दोनों का दस प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो :

परंतु इस धारा के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के पूर्व लंबित रोक संबंधी आवेदनों और अपीलों को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मांगे गए शुल्क" में निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(i) धारा 11घ के अधीन अवधारित रकम ;

(ii) भूल से लिए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की रकम ;

(iii) केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन संदेय रकम।'।

99. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ठ को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 35ठ का संशोधन।

"(2) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, शुल्क की दर से संबंधित किसी प्रश्न के अवधारण में, निर्धारण के प्रयोजन के लिए माल की कराधेयता या उत्पाद-शुल्क्यता का अवधारण सम्मिलित होगा ।"।

100. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35द की उपधारा (4) में, "अपील अधिकरण या न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या न्यायालय" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 35द का संशोधन ।

101. (1) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 में, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 127(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, नियम 8, चौथी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा । पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 का संशोधन।

(2) केंद्रीय सरकार को, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति होगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त थी।

(3) ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किंतु जो इस प्रकार उस दशा में संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम सभी तात्त्विक समयों पर, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त होते ।

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन उत्पाद-शुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(5) किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम का भूतलक्षी रूप से संशोधन नहीं किया गया होता ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 का संशोधन।

102. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम अधिसूचना कहा गया है) जो अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय अधिसूचना कहा गया है) द्वारा अधिक्रांत की गई थी, जहां तक उसका संबंध प्रथम अधिसूचना से है, संशोधित रहेगी और पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से, भूतलक्षी रूप से,—

(क) प्रथम अधिसूचना के अधीन समाविष्ट, उसमें विनिर्दिष्ट अध्याय 54 या अध्याय 55 के संबंध में 29 जून, 2010 से 16 मार्च, 2012 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अर्थात् द्वितीय अधिसूचना की तारीख के पूर्व की तारीख से;

(ख) प्रथम अधिसूचना के अधीन समाविष्ट उसमें विनिर्दिष्ट अध्याय 71 के संबंध में 1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अर्थात् द्वितीय अधिसूचना की तारीख के पूर्व तारीख से,

जैसी उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना के सामने अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी ।

(3) ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो उस दशा में इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पाद-शुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(5) किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार तब दंडनीय नहीं होता, यदि अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन नहीं किया गया होता ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का संशोधन।

103. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जैसी छठी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट है, उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही, संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी ।

(3) ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो उस दशा में इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(5) किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता, यदि अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन नहीं किया गया होता ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए तत्स्थानी तारीख से,—

(i) क्र0 सं0 81 के सामने विनिर्दिष्ट टैरिफ मदों के संबंध में 8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है।

(ii) क्र0 सं0 172क के समाने विनिर्दिष्ट अध्यायों के संबंध में 17 मार्च, 2012 से 10 जुलाई, 2014 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है।

तीसरी अनुसूची का संशोधन।

104. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 का 5

105. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का संशोधन आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा । पहली अनुसूची का संशोधन ।

अध्याय 5

सेवा कर

106. वित्त अधिनियम, 1994 में,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

(क) धारा 65ख में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(i) खंड (32) में "के अनुसार प्रभारित किया जाता है" शब्दों के पश्चात् "किंतु इसके अंतर्गत रेडियो टैक्सी नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (39) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(39क) "प्रिंट मीडिया" से अभिप्रेत है,—

1867 का 25

(i) "पुस्तक", जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1 की उपधारा (1) में परिभाषित है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी कारबार निर्देशिकाएं, येलो पेजेज और व्यापार (ट्रेड) सूचीपत्र नहीं आते हैं जो मुख्यतया वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए हों ;

1867 का 25

(ii) "समाचारपत्र" जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1 की उपधारा (1) में परिभाषित है ; ';

(ख) धारा 66घ में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(i) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के लिए स्थान का विक्रय ;";

(ii) खंड (ण) के उपखंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(vi) मीटर वाली कैब या आटो रिक्शा द्वारा ;";

(ग) धारा 67क में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिमय दर" से ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अवधारित विनिमय दर अभिप्रेत है ।';

(घ) धारा 73 की उपधारा (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4ख) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी उपधारा (2) के अधीन शोध्य सेवा कर की रकम का अवधारण,—

(क) सूचना की तारीख से छह मास के भीतर करेगा, जहां उन मामलों की बाबत, जिनकी परिसीमा उपधारा (1) में अठारह मास विनिर्दिष्ट की गई है, ऐसा करना संभव हो ;

(ख) सूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर करेगा, जहां उन मामलों की बाबत, जो उपधारा (1) के परंतुक या उपधारा (4क) के परंतुक के अंतर्गत आते हैं, ऐसा करना संभव हो ।";

(ङ) धारा 80 की उपधारा (1) में, "धारा 77 या धारा 78 की उपधारा (1) के पहले परंतुक" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "या धारा 77" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(च) धारा 82 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अपर आयुक्त या ऐसा अन्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जिसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई दस्तावेजें या बहियां या वस्तुएं, जो उसकी राय में इस अध्याय के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, किसी स्थान में छिपाई हुई हैं, वहां वह किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों या बहियों या वस्तुओं के लिए तलाशी लेने और अभिगृहीत करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या स्वयं तलाशी ले सकेगा या उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा ।" ;

(छ) धारा 83 में,—

(i) "धारा 9क की उपधारा (2)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 5क की उपधारा (2क), धारा 9क की उपधारा (2)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 15" के स्थान पर "धारा 15, धारा 15क, धारा 15ख" रखा जाएगा ;

(ज) धारा 86 में,-

(i) उपधारा (1क) के खंड (i) में, "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्दों के स्थान पर "आदेश द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (6क) के खंड (क) में, "रोके जाने की मंजूरी या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(झ) धारा 87 के खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पूर्वाधिकारी कहा गया है) जिससे सेवा कर या किसी प्रकार की ऐसी कोई अन्य धनराशि, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट हो, वसूलीय या शोध्य है, अपने कारबार या व्यापार का पूर्णतः या भागतः अंतरण करता है या अन्यथा उसका व्ययन करता है या उसके स्वामित्व में कोई परिवर्तन करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह किसी अन्य व्यक्ति के उस कारबार या व्यापार का उत्तराधिकारी बनता है, वहां इस प्रकार उत्तराधिकारी बनने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा या कब्जे में के सभी माल केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा सशक्त ऐसे अधिकारी द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, पूर्वाधिकारी से वसूलीय या शोध्य ऐसे सेवा कर या अन्य धनराशियों को वसूल करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरण या अन्यथा व्ययन या परिवर्तन किए जाने के समय कुर्की की जा सकेगी या उसका विक्रय किया जा सकेगा ।";

(ञ) धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ट) कर से समुचित उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्तियों पर जानकारी देने, अभिलेख रखने के कर्तव्य का और उस रीति का अधिरोपण, जिसमें ऐसे अभिलेखों को सत्यापित किया जाएगा ;

(ठ) सुविधाओं को वापस लेने या कराधेय सेवा के प्रदाता या निर्यातकर्ता पर निर्बंधनों के (जिसके अंतर्गत केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के उपभोग पर निर्बंधन भी हैं) अधिरोपण के लिए कर के अपवंचन से या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के दुरुपयोग के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उपबंध करना ;

(ड) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड या मुख्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए किन्हीं आनुषंगिक या अनुपूरक विषयों के संबंध में अनुदेश जारी करने के लिए प्राधिकार का दिया जाना ;

(ढ) कोई अन्य विषय, जो इस अध्याय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।";

(ट) धारा 95 की उपधारा (1ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ट) यदि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 की धारा 106 को, जहां तक वह उक्त अधिनियम द्वारा इस अध्याय में संशोधन किए जाने से संबंधित है, प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।";

(ठ) धारा 99 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवाओं के लिए विशेष उपबंध।

"100. धारा 66 में, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 के पूर्व विद्यमान थी, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 1 जुलाई, 2012 के पूर्व की अवधि के दौरान प्रदान की गई कराधेय सेवाओं की बाबत कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।"। 1948 का 34

अध्याय 6

प्रकीर्ण

2001 के अधिनियम 14 का संशोधन।

107. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में, टैरिफ मद 2402 20 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2002 के अधिनियम 58 की धारा 13 का संशोधन।

108. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, "31 मार्च, 2014" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2014 से रखे गए समझे जाएंगे ।

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन ।

109. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में, 1 अक्तूबर, 2014 से,— 2004 का 23

(अ) धारा 97 में,—

(i) खंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1961 का 43 '(3क) "कारबार न्यास" का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (13क) में उसका है,'।

(ii) खंड (13) के उपखंड (क) में, "किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि के यूनिट" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) धारा 98 की सारणी के स्तंभ (2) में,—

(I) क्रम सं0 1 में की प्रविष्टि में,—

(i) "किसी कंपनी में साधारण शेयर" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में "शेयर" शब्द के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) क्रम सं0 2 में की प्रविष्टि में,—

(i) "किसी कंपनी में साधारण शेयर" शब्दों के पश्चात् "या किसी कारबार न्यास की किसी यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में "शेयर" शब्द के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(III) क्रम सं0 3 में की प्रविष्टि में, "साधारण शेयरोन्मुख निधि" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

110. वित्त अधिनियम, 2005 में,— 2005 के अधिनियम 18 का संशोधन।

(क) धारा 85 के पार्श्व शीर्ष में, "अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (पान मसाला और कतिपय तम्बाकू उत्पाद)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "कतिपय माल पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) सातवीं अनुसूची का नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

111. वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 की उपधारा (3) में, "स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में" से आरंभ होने वाले और "किसी अन्य प्रयोजन के लिए" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 2010 के अधिनियम 14 का संशोधन ।

"स्वच्छ पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वच्छ पर्यावरण या स्वच्छ ऊर्जा प्रारंभिक उपाय निधि अनुसंधान के वित्त पोषण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए" ।

2014 का 11 **112.** वित्त अधिनियम, 2014 को निरसित किया जाता है और यह समझा जाएगा कि वह कभी अधिनियमित ही नहीं किया गया था। निरसन ।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 86, खंड 87 [तीसरी अनुसूची का क्रम सं0 (1) और (9)(ii)], खंड 104, खंड 105 (आठवीं अनुसूची का क्र0 सं0 1), खंड 107 और खंड 110 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	30,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,30,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	25,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,25,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,— — 50 प्रतिशत ;

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; अथवा

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से किसी भी दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	25 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	25 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	25 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है),	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है,	25 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	25 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	25 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ओ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी, देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी, देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां भारत में निवासी किसी व्यक्ति को ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	25 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—	
(अ) जहां करार, 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार, 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ix) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ix) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखङ या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	25,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,25,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	20,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,20,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2), इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती, किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश, हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के

प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 85 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा0का0नि0 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 [12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और उस तारीख से उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—	8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"141	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 00	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, द्वारा गृहस्थ घरेलू उपभोक्ताओं या गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए आयात की गई द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ।	शून्य	-	-";

तीसरी अनुसूची

(धारा 87 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में, टैरिफ मद 2402 20 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(2) अध्याय 40 में, टैरिफ मद 4015 90 20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कि.ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 41 में, शीर्ष 4102 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कि.ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 49 में, शीर्ष 4901, 4909 और 4910 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 73 में, शीर्ष 7308, 7323 और 7324 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 82 में, शीर्ष 8205 और 8208 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 83 में, शीर्ष 8301 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 84 में,—

(i) शीर्ष 8405 और 8466 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8418 61 00, 8418 69 10, 8418 69 20, 8418 69 30, 8418 69 40, 8418 69 50, 8418 69 90, 8421 91 00, 8421 99 00, 8432 80 10, 8432 80 20, 8432 80 90, 8432 90 10, 8432 90 90, 8473 30 10, 8473 30 20, 8473 30 30, 8473 30 40, 8473 30 91, 8473 30 92, 8473 30 99, 8473 40 10, 8473 40 90, 8473 50 00 और 8483 90 00 में, उनमें प्रत्येक के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8503, 8529, 8532, 8533, 8534, 8535 और 8536 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8517 62 90 और 8517 69 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) टैरिफ मद 8517 70 10, 8518 90 00 और 8538 1010 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) शीर्ष 8544 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "मी." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9004 90 90, 9005 80 90, 9026 90 00, 9031 10 00, 9031 20 00, 9031 41 00, 9031 49 00 और 9031 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी;

(11) अध्याय 91 में, टैरिफ मद 9110 12 00, 9110 19 00, 9110 90 00 और 9113 10 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ।

चौथी अनुसूची

(धारा 101 देखिए)

पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों का संशोधन किया जाना	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 127(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 [30/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जुलाई, 2008] द्वारा प्रकाशित पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 का नियम 8	पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 8 के पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से रखा जाएगा, अर्थात् :— "परंतु जहां विनिर्माणकर्ता किसी मास के दौरान विभिन्न फुटकर विक्रय कीमतों वाले पाउचों का उत्पादन करने के लिए प्रचालन मशीन का प्रयोग करता है, वहां वह संपूर्ण मास में सबसे ऊंची फुटकर विक्रय कीमत से संबंधित पाउच को लागू शुल्क का संदाय करने का दायी होगा ।"।	13 अप्रैल, 2010

पांचवीं अनुसूची

(धारा 102 देखिए)

<table>
<tr><th>अधिसूचना संख्यांक और तारीख</th><th>संशोधन</th><th>संशोधन के प्रभावी होने की अवधि</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">सा0का0नि0 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 [05/2006-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006]</td><td>(1) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 2ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और उस तारीख से उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—
<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th></tr>
<tr><td>“2ग.</td><td>54 या 55</td><td>(1) प्लास्टिक स्क्रैप या पॉलीथेलिन टेरीफिथलेट बोतलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न</td><td>शून्य</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(2) सन, जो कारखाने के भीतर प्रविष्टि (1) में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उसके उत्पादन हेतु विनिर्मित और लाभप्रद रूप में उपभोग किया गया हो</td><td>शून्य</td><td>-;”</td></tr>
</table></td><td>29 जून, 2010 से 16 मार्च, 2012 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)</td></tr>
<tr><td>(2) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 24 के अध्याय 71 के सामने, स्तंभ (3), स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और उस तारीख से उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—
<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>“(I) (क) स्वर्ण,
(ख) चांदी,
(ग) प्लेटिनम,
(घ) पैलाडियम,
(ङ) रोडियम,
(च) इरिडियम,
(छ) ओसमियम, या
(ज) रूथेनियम
की ऐसी वस्तुएं, जो ब्रांड नाम वाली न हों ;</td><td>शून्य</td><td>8”;</td></tr>
</table></td><td>1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)</td></tr>
</table>

छठी अनुसूची

(धारा 103 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा0का0नि0 संख्यांक 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 [12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012]	(1) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और उस तारीख से और उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—	8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित है)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"81.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 00	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गृहस्थ घरेलू उपभोक्ताओं या गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	शून्य	–";

(2) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 172क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और उस तारीख से और उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :— — 17 मार्च, 2012 से 10 जुलाई, 2014 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित है)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"172क.	54 या 55	(1) प्लास्टिक स्क्रैप या पॉलीथेलिन टेरीफिथलेट बोतलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न	शून्य	–
		(2) सन, जो कारखाने के भीतर प्रविष्टि (1) में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उसके उत्पादन हेतु विनिर्मित और लाभप्रद रूप में उपभोग किया गया हो	शून्य	–";

सातवीं अनुसूची

(धारा 104 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(i) क्रम सं0 15 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2101 11 या 2101 12 00" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्र0 सं0 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र0 सं0	**शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का वर्णन**
(1)	**(2)**	**(3)**
"30क.	3002 20 या 3002 30 00	वैक्सीन (राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन विनिर्दिष्ट से भिन्न अन्य वैक्सीन)";

(iii) क्र0 सं0 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	**(2)**	**(3)**
"36क.	3215 90 10	फाउंटेन पेन की स्याही
36ख.	3215 90 20	बाल पेन की स्याही
36ग.	3215 90 40	आरेखण स्याही";

(iv) क्र0 सं0 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	**(2)**	**(3)**
"38क.	3306 10 10	टूथ पाउडर";

(v) क्र0 सं0 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	**(2)**	**(3)**
"53क.	39 या 40	दूध पिलाने वाली बोतलों की निप्पलें
53ख.	4015	शल्य चिकित्सीय रबड़ दस्ताने या चिकित्सीय परीक्षा रबड़ दस्ताने";

(vi) क्र0 सं0 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	**(2)**	**(3)**
"62क.	7310 या 7326 या कोई अन्य अध्याय	मैथमेटिकल बाक्स, जियोमेट्री बाक्स और कलर बाक्स, पेंसिल शार्पनर";

(vii) क्र0 सं0 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	**(2)**	**(3)**
"65क.	8215	सभी माल";

(viii) क्रम सं0 68 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8415 20 में विनिर्दिष्ट माल के सिवाय सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं0 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	**(2)**	**(3)**
"69.	8418 21 00, 8418 29 00, 8418 30 90, 8418 69 20	सभी माल";

(x) क्र0 सं0 70 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8421 21" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) क्र0 सं0 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"70क.	8421 21 20, 8421 99 00	विद्युत के बिना काम करने वाले वाटर फिल्टर और उनकी बदलने योग्य किटें";

(xii) क्र0 सं0 73 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टाइपराइटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) क्र0 सं0 76 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8506 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) क्र0 सं0 76क में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8508 70 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) क्र0 सं0 77 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8509 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) क्र0 सं0 78 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8510 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) क्र0 सं0 79 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8513 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) क्र0 सं0 81 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टेलीफोन सेट, जिनके अंतर्गत कार्डलेस हैंडसेट के साथ और सेलुलर नेटवर्क के लिए और अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन हैं ; वीडियोफोन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) क्र0 सं0 81ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"81ग.	8517	पीसीएमसीआईए या यूएसबी या पीसीआई एक्सप्रेस पोर्ट के साथ वायरलेस डाटा मोडम कार्ड";

(xx) क्र0 सं0 84 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8523 21 00, 8523 29 60 से 8523 29 90, 8523 41 20 से 8523 41 50, 8523 49 30, 8523 49 50 से 8523 49 90, 8523 52 10, 8523 59, 8523 80 20, 8523 80 30 और 8523 80 60 के सिवाय सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) क्र0 सं0 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"84क.	8523 80 20	पैक किया गया साफ्टवेयर या डिब्बाबंद साफ्टवेयर । **स्पष्टीकरण**—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, "पैक किया गया साफ्टवेयर या डिब्बाबंद साफ्टवेयर" से विविध प्रकार के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित कोई साफ्टवेयर अभिप्रेत है और जो शेल्फ से विक्रय के लिए आशयित या विक्रय किए जाने योग्य है ।';

(xxii) क्र0 सं0 89 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"89	8517 या 85 25 60	मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन और रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनल भी हैं";

(xxiii) क्र0 सं0 94 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "आटोमोबाइलों के लिए लैंपों के सिवाय सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) क्र0 सं0 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"94क.	अध्याय 84 या 85	क्र0 सं0 67 से 94 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक मदों पर कार्य किए जाने योग्य माल";

(xxv) क्र0 सं0 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"99क.	9619	सभी माल";

आठवीं अनुसूची

(धारा 105 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में,—

1. अध्याय 24 में,—

(क) टैरिफ मद 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 40, 2401 10 50, 2401 10 60, 2401 10 70, 2401 10 80, 2401 10 90, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 40, 2401 20 50, 2401 20 60, 2401 20 70, 2401 20 80 और 2401 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "55%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2402 10 10 और 2402 10 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12% या 2250 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2402 20 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "990 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2402 20 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1995 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 2402 20 30 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "990 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2402 20 40 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1490 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) टैरिफ मद 2402 20 50 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1995 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 2402 20 60 में उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(झ) टैरिफ मद 2402 90 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "2250 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ञ) टैरिफ मद 2402 90 20 और 2402 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12% या 2250 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ट) शीर्ष 2403 में के उपशीर्ष 2403 19 की टैरिफ मद 2403 19 10 के पश्चात् टैरिफ मद 2403 19 के रूप में आने वाली टैरिफ मद के स्थान पर, "2403 19 21" टैरिफ मद रखी जाएगी ;

(ठ) टैरिफ मद 2403 99 10, 2403 99 30 और 2403 99 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2. अध्याय 40 में, टैरिफ मद 4015 90 20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कि.ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

3. अध्याय 41 में, शीर्ष 4102 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कि.ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

4. अध्याय 49 में, शीर्ष 4901, 4909 और 4910 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

5. अध्याय 73 में, शीर्ष 7308, 7323 और 7324 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

6. अध्याय 82 में, शीर्ष 8205 और 8208 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

7. अध्याय 83 में, शीर्ष 8301 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

8. अध्याय 84 में,—

(i) शीर्ष 8405 और 8466 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8418 61 00, 8418 69 10, 8418 69 20, 8418 69 30, 8418 69 40, 8418 69 50, 8418 69 90, 8421 91 00, 8421 99 00, 8432 80 10, 8432 80 20, 8432 80 90, 8432 90 10, 8432 90 90, 8473 30 10, 8473 30 20, 8473 30 30, 8473 30 40, 8473 30 91, 8473 30 92, 8473 30 99, 8473 40 10, 8473 40 90, 8473 50 00 और 8483 90 00 में, उनमें प्रत्येक के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

9. अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8503, 8529, 8532, 8533, 8534, 8535 और 8536 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8517 70 10, 8518 90 00 और 8538 10 10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टियों रखी जाएगी;

(iii) शीर्ष 8544 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "मी." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

10. अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9004 90 90, 9005 80 90, 9026 90 00, 9031 10 00, 9031 20 00, 9031 41 00, 9031 49 00 और 9031 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी;

11. अध्याय 91 में, टैरिफ मद 9110 12 00, 9110 19 00, 9110 90 00 और 9113 10 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ।

नवीं अनुसूची

[धारा 110(ख) देखिए]

वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में,—

(i) टैरिफ मद 2106 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
" 2202 10	जल, जिसके अंतर्गत खनिज जल और वातित जल है, जिनमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरक पदार्थ है या जो सुरूचिकारक है	1	5%";

(ii) टैरिफ मद 2402 20 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
7 जुलाई, 2014

अरुण जेटली

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली, के लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 7 जुलाई, 2014 के पत्र सं॰ एफ॰ 2(8)-बी॰(डी॰)/2014 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अधीन, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करते हैं ।

2. यह विधेयक लोक सभा में 10 जुलाई, 2014 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा ।

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2** में वे दरें विनिर्दिष्ट हैं, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्‌गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए की जानी है ; और उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है ।

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय-कर की दरें

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में आय-कर की उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है । ये दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी ।

इस प्रकार काटे गए कर की रकम में—

(i) प्रत्येक अनिवासी (कंपनी से भिन्न) की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(iii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए उन दरों को, जिन पर "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और उन दरों को भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

इस भाग के पैरा क में आय-कर की निम्नलिखित दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [उनसे भिन्न जो उपपैरा (ii) और उपपैरा (iii) में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित है या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है :—

2,50,000 रुपए तक	**कुछ नहीं** ।
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत तक ।
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत तक ।
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं** ।
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत तक ।
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत तक ।
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष की या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं** ।
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत ।
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

इस पैरा में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । ऐसी सहकारी सोसाइटियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसी फर्मों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । देशी कंपनियों और देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों, दोनों दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है ।

ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दो प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

सभी अन्य मामलों (जिसमें धारा 115ञख, धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक आदि भी हैं) में, अधिभार दस प्रतिशत की दर से लागू होगा ।

पहली अनुसूची के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में दो प्रतिशत की दर से "शिक्षा उपकर" और एक प्रतिशत की दर से "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा । पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, स्रोत पर काटे गए या संगृहीत किए गए कर पर कोई शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा । दोनों उपकर, वेतन भुगतानों की दशा में स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में लागू बने रहेंगे । ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उद्गृहीत किए जाते रहेंगे ।

विधेयक का **खंड 3,** आय-कर अधिनियम की धारा 2, जो परिभाषाओं से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे एक नया खंड (13क) "कारबार न्यास" को इस रूप में परिभाषित करने के लिए अंतःस्थापित किया जा सके अर्थात् इससे ऐसा न्यास अभिप्रेत है जो अवसंरचना विनिधान न्यास या भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में रजिस्टीकृत है, जिसकी इकाई का, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित सुसंगत विनियमों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

धारा 2 के खंड (14) के विद्यमान उपबंधों में "पूंजी आस्ति" पद को परिभाषित किया गया है । इस पद को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि इसके अंतर्गत निर्धारिती द्वारा धारित किसी प्रकार की संपत्ति, चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या न हो, आती है किंतु इसके अंतर्गत परिभाषा में यथा उपबंधित कोई व्यापार स्टाक या वैयक्तिक आस्तियां नहीं आती हैं ।

उक्त खंड (14) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "पूंजी आस्ति" पद के अंतर्गत ऐसी कोई प्रतिभूति भी आएगी जो किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा धारित है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूति में विनिधान किया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

इसमें धारा 2 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे "मुख्य आयुक्त", "आयुक्त" और "महानिदेशक" या "निदेशक" से संबंधित परिभाषाओं के खंड (15क), खंड (16) और खंड (21) को प्रतिस्थापित किया जा सके । इसमें खंड (34क), खंड (34ख), खंड (34ग) और खंड (34घ) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त", "प्रधान आय-कर आयुक्त", "प्रधान आय-कर महानिदेशक" और "प्रधान आय-कर निदेशक" पदों को इस रूप में परिभाषित किया जा सके जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 117 के अधीन आय-कर प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

ये संशोधन 1 जून, 2013 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होंगे ।

धारा 2 के खंड (24) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में "आय" पद को परिभाषित किया गया है । उक्त खंड (24) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे आय की परिभाषा से सम्बन्धित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) में निर्दिष्ट किसी धनराशि को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्वर्ती वर्षों के सम्बन्ध में लागू होगा।

धारा 2 के खंड (42क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अल्पकालीन पूंजी आस्ति से उसके अंतरण की तारीख से ठीक पहले छत्तीस मास से अनधिक के लिए निर्धारिती द्वारा धारित पूंजी आस्ति अभिप्रेत है । तथापि, किसी कंपनी में धारित शेयर या भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी अन्य प्रतिभूति या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के किसी यूनिट या पारस्परिक निधि के किसी यूनिट या जीरो कूपन बंधपत्र की दशा में, इसे अल्पकालीन पूंजी आस्ति के रूप में अर्हक बनाने के लिए धारण अवधि बारह मास की है ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कंपनी में धारित ऐसे शेयर की दशा में, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, उसे अल्पकालीन पूंजी आस्ति के रूप में अर्हक बनाने के प्रयोजन के लिए उसे धारण करने की अवधि छतीस मास से अधिक की नहीं होगी और उस प्रयोजन के लिए "किसी कंपनी में धारित शेयर या भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध किसी अन्य प्रतिभूति" शब्दों के स्थान पर, "भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध (किसी यूनिट से भिन्न) किसी प्रतिभूति" शब्द रखे जाएंगे । इसके अतिरिक्त किसी यूनिट की दशा में, बारह मास तक धारण करने की तत्स्थानी अवधि किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट तक सीमित होगी ।

"साधारण शेयरोन्मुख निधि" पद को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

धारा 2 के खंड (42क) में यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो कारबार न्यास की यूनिट है, जिसका धारा 47 के खंड (xvii) में यथानिर्दिष्ट शेयर या शेयरों के अंतरण के अनुसरण में उसका आबंटन किया गया हो, वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके लिए निर्धारिती द्वारा ऐसा शेयर धारित किया गया था या ऐसे शेयर धारित किए गए थे ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 4,** आय-कर अधिनियम में, "मुख्य आयुक्त", "आयुक्त", "महानिदेशक" और "निदेशक" पदों की परिभाषाओं से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 2 में किए गए संशोधनों को देखते हुए, पारिणामिक संशोधन करने के लिए है ।

ये संशोधन 1 जून, 2013 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 5,** आय-कर अधिनियम की धारा 10क का, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (23ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन उसमें उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थाओं, अस्पताल या किसी अन्य संस्था की आय के संबंध में छूट का उपबंध है, यदि ऐसा

विश्वविद्यालय या कोई अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या कोई अन्य संस्था पूर्णतया या पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित होनी चाहिए ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि उसमें निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को किसी पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित समझा जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को, सरकारी अनुदान उस सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियों की, जिनके अंतर्गत कोई स्वैच्छिक अभिदाय भी हैं, ऐसी प्रतिशतता से, जो विहित की जाए, अधिक है ।

इसमें उक्त खंड का संशोधन करने का यह और प्रस्ताव है कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था को अथवा उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और वह अधिसूचना या अनुमोदन किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां इस धारा के [उसके खंड (1) से भिन्न] किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट कोई बात, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की ओर से उस पूर्ववर्ष के लिए प्राप्त किसी आय को उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित होगी ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि आय का, उपयोजन के प्रयोजनों के लिए, अवधारण ऐसी किसी आस्ति की बाबत, जिसके अर्जन का दावा धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 11 के अधीन किसी पूर्ववर्ष में आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, किसी कटौती या मोक के बिना अवक्षयण के रूप में या अन्यथा किया जाएगा ।

धारा 10 में एक नया खंड (23चग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कारबार न्यास की किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य ब्याज के रूप में कोई आय न्यास की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी । एक "विशेष प्रयोजन एकक" पद को परिभाषित करने के लिए उपबंध करने का और प्रस्ताव है, विशेष प्रयोजन एकक से ऐसी कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें कोई कारबार न्यास नियंत्रणकारी हित और शेयरधारिता या हित की ऐसी कोई विनिर्दिष्ट प्रतिशतता, जो उन विनियमों के द्वारा, जिनके अधीन ऐसे न्यास को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, अपेक्षित किया जाए, धारण करता है ।

धारा 10 में एक नया खंड (23चघ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115पक में निर्दिष्ट ऐसी कोई वितरित आय, जो किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त की गई हो जो आय का वह अनुपात नहीं है, जो उसी प्रकृति की है, जो इस धारा के खंड (23चग) में निर्दिष्ट की गई है, उस यूनिट धारक की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

धारा 10 के खंड (38) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध किसी कारबार न्यास की यूनिटों को भी वैसे लागू होंगे जैसे कि वह किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिटों को लागू हाते हैं । यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस खंड के उपबंध ऐसी किसी आय की बाबत जो किसी कारबार न्यास की ऐसी किन्हीं यूनिटों से, जो धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफल स्वरूप अर्जित की गई थी, अंतरण से उद्भूत किसी आय की बाबत लागू नहीं होंगे ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 6,** आय-कर अधिनियम की धारा 10कक जो विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 10कक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वस्तुओं या चीजों के निर्यात से या प्रदान की गई सेवाओं से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

उक्त धारा 10कक का, उसमें एक नई उपधारा (10) अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी विनिर्दिष्ट कारबार द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 10कक के अधीन कटौती का लाभ उठाया गया है, वहां उसी निर्धारण वर्ष या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उस विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 35कघ के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 7,** आय-कर अधिनियम की धारा 11, जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में एक मुख्य शर्त यह है कि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के संबंध में छूट प्रदान करने के लिए, ऐसी आय, भारत में पूर्त प्रयोजनों के लिए उपयोजित की गई होनी चाहिए और जहां ऐसी आय, पूर्ववर्ष के दौरान इस प्रकार उपयोजित नहीं की जा सकती है, वहां उसको विहित पद्धति में संचित किया जाना होगा ।

उक्त धारा में नई उपधारा (6) और उपधारा (7) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,—

(i) जहां किसी आय का उपयोजन या संचित किया जाना या उपयोजन के लिए अलग रखा जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे प्रयोजनों के लिए आय, ऐसी किसी आस्ति के संबंध में, जिसके अर्जन का दावा उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, किसी कटौती या मोक के बिना अवक्षयण के रूप में या अन्यथा अवधारित की जाएगी; और

(ii) जहां किसी न्यास या संस्था को धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उसने धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है तो धारा 10 में अंतर्विष्ट कोई बात [उसके खंड (1) और खंड (23ग) से भिन्न] न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 8**, आय-कर अधिनियम की धारा 12क, जो धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 11 और धारा 12 के अधीन उसके समक्ष किसी न्यास या किसी संस्था द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें पूर्वोक्त धारा 12क के विद्यमान उपबंधों के अधीन उपबंधित की गई हैं । यह उपबंध किया गया है कि छूट के किसी फायदे का दावा करने से पहले न्यास या संस्था को धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए और केवल ऐसा रजिस्ट्रीकरण

मंजूर किए जाने के पश्चात् ही ऐसा न्यास या संस्था ऐसी छूट के फायदे का दावा करने के लिए पात्र होगी । ऐसे न्यासों या संस्थाओं की दशा में, जिन्होंने 1 जून, 2007 के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, रजिस्ट्रीकरण केवल ऐसे वित्तीय वर्ष के बाद आने के पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए, जिसमें आवेदन किया गया है, प्रभावी होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एक बार धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण, किसी वित्तीय वर्ष में किसी पूर्त संगठन को मंजूर किया गया है तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण, किसी इकाई को भी पूर्ववर्षों के मामलों में धारा 11 और धारा 12 के फायदों के लिए वहां भी हकदार बनाएगा जहां रजिस्ट्रीकरण की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारण कार्यवाहियां लंबित हैं, यदि उद्देश्य और क्रियाकलाप समान बने रहते हैं, जिन पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय आयुक्त द्वारा विचार किया गया है ।

धारा 147 के अधीन कोई कार्रवाई, निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे न्यास या संस्था की दशा में उक्त निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे न्यास या संस्था द्वारा केवल धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त न किए जाने के कारण प्रथम निर्धारण वर्ष जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण लागू होता है, से पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष के लिए नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उक्त फायदे वहां उपलब्ध नहीं होंगे, जहां न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण आयुक्त द्वारा किसी समय नामंजूर या रद्द कर दिया गया है ।

ये संशोधन, 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 9,** आय-कर अधिनियम की धारा 12कक, जो रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां किसी न्यास या किसी संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, उस न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा ।

धारा 12कक में एक नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी न्यास या किसी संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् यह अवेक्षा की जाती है कि न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करने के लिए लागू नहीं होते हैं, तो आयुक्त या प्रधान आयुक्त, उस न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकेगा । तथापि उक्त उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द नहीं किया जाएगा, यदि पूर्वोक्त न्यास या संस्था यह साबित कर देती है कि क्रियाकलापों को उक्त रीति से किए जाने के लिए युक्तियुक्त कारण था ।

यह संशोधन, 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 10,** आय-कर अधिनियम की धारा 24, जो गृह संपत्ति से आय में से कटौतियों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 24 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना, वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर राशि की और जहां संपत्ति उधार ली गई पूंजी से अर्जित की जाती है, वहां उस पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की कटौती करने के पश्चात् की जाएगी । उक्त धारा के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि स्वतः अधिभोग में ली गई संपत्ति की दशा में, जहां संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें पूंजी उधार ली गई है तीन वर्ष के भीतर पूरा किया जाता है, उस खंड के अधीन कटौती की रकम एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

धारा 24 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबत ब्याज की रकम पर कटौती की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों से संबंधित में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 11,** आय-कर अधिनियम की धारा 32कग, जो संयंत्र या मशीनरी में विनिधान से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां कोई निर्धारिती, जो कोई कंपनी है, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, 31 मार्च, 2013 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व, नई आस्ति अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, वहां—

(क) 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2013 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व अर्जित और प्रतिष्ठापित नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस दशा में अनुज्ञात की जाएगी यदि ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ख) 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2013 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व अर्जित और प्रतिष्ठापित नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर ऐसी राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो खंड (क) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम, यदि कोई है, को घटा कर आए ।

धारा 32कग में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई निर्धारिती, जो कंपनी है, किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, नई आस्ति अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित और प्रतिष्ठापित की गई नई आस्ति की वास्तविक लागत राशि पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी नई आस्ति की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।

इसमें यह उपबंध करने के लिए एक परन्तुक अंतःस्थापित किए जाने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1क) के अधीन कोई कटौती ऐसे निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा करने का पात्र है ।

उक्त धारा 32कग में एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1क) के अधीन कोई कटौती 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि यदि निर्धारिती द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठापित किसी नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, समामेलन या निर्विलयन के संबंध में के सिवाय, विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, तो ऐसी नई आस्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम को, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी नई आस्ति का विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, ऐसी नई आस्ति के अंतरण के मद्दे उद्भूत अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त निर्धारिती की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

धारा 32कग की उक्त उपधारा (2) में उपधारा (1क) के प्रति निर्देश करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त नए सिरे से अंतःस्थापित उपधारा के अधीन निर्धारिती को उक्त उपधारा (2) की परिधि में लाया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 12,** आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 35कघ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारिती द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपगत पूंजीगत प्रकृति के किसी व्यय, किसी भूमि या गुडविल या वित्तीय लिखत के अर्जन पर उपगत व्यय से भिन्न की बाबत, उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया गया है, कटौती का उपबंध है । उक्त धारा में यह भी उपबंध है कि " ग. कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन कटौती का फायदा ऐसे किसी विनिर्दिष्ट कारबार को नहीं मिलेगा जिसने उक्त धारा के अधीन कटौती का दावा किया है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट कारबार को धारा 10कक के अधीन कोई कटौती किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार ने धारा 35कघ के अधीन किसी कटौती का दावा किया है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) में नए खंड (कझ) और खंड (कञ) यह विनिर्दिष्ट करने के लिए अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है कि प्रचालन के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2014 या उसके पश्चात् की होगी जहां विनिर्दिष्ट कारबार लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन बिछाने और उसके प्रचालन की प्रकृति का है या किसी अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की स्थापना और उसके प्रचालन की प्रकृति का है और जो बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित हो ।

धारा 35कघ में एक नई उपधारा (7क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी कोई आस्ति, जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, केवल विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित या सन्निर्मित की जाती है, आरंभ होने वाले आठ वर्षों की अवधि के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (7ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसी कोई आस्ति का जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार के लिए धारा 28 के खंड (vii) में निर्दिष्ट ढंग से भिन्न रूप में उपयोग में लाई जाती है । वहां एक या अधिक पूर्ववर्षों में इस प्रकार दावा की गई और अनुज्ञात की गई कटौती की कुल रकम को, जो धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटाकर आए, मानो उक्त धारा 35कघ के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई थी, निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की, जिसमें आस्ति का विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उपयोग किया जाता है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (7ग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (7ख) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी कंपनी को लागू नहीं होगी, जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन, उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई है ।

धारा 35कघ की उपधारा (8) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे निम्नलिखित कारबारों को इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट कारबारों के रूप में सम्मिलित किया जा सके :—

(i) लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन को बिछाना और उसका प्रचालन ;

(ii) बोर्ड द्वारा अधिसूचित अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, स्थापना और उसका प्रचालन ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 13**, आय-कर अधिनियम की धारा 37, जो साधारण व्यय से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कोई ऐसा व्यय (जो धारा 30 से धारा 36 तक में वर्णित प्रकार का व्यय नहीं है और जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का या निर्धारिती का वैयक्तिक व्यय नहीं है) जो कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपगत या किया गया व्यय है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात किया जाएगा ।

धारा 37 की उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों पर उपगत किसी व्यय को कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया नहीं समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम की धारा 40, जो कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 40 के उपबंधों में वे रकमें विनिर्दिष्ट हैं, जिनकी "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ब्याज के रूप में किसी राशि का संदाय (जो अप्रैल, 1938 के प्रथम दिन से पूर्व सार्वजनिक अभिदान के लिए पुरोधृत उधार पर ब्याज नहीं है), स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य राशि, जो भारत के बाहर या भारत में किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को संदेय है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् पूर्ववर्ष में या पश्चात्वर्ती वर्ष के दौरान धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन संदाय विहित समय की समाप्ति से पूर्व नहीं किया गया है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) का उपखंड (i) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उक्त उपखंड के अधीन मोक का न दिया जाना उस दशा में लागू होगा यदि पूर्ववर्ष के दौरान कर की कटौती के पश्चात् उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आय की विवरणी फाइल किए जाने की देय तारीख को या उससे पहले नहीं किया गया है ।

पूर्वोक्त उपखंड के विद्यमान परंतुक में यह उपबंधित है कि जहां किसी राशि की बाबत किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या पूर्ववर्ष में कटौती कर ली गई है किंतु किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन

विहित समय की समाप्ति के पश्चात् संदत्त की गई है वहां, ऐसी राशि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

उक्त परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसी किसी राशि की बाबत की गई कर की कटौती किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में की गई है या कटौती पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान की गई है किंतु उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसी राशि को ऐसे पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ik) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी निवासी को संदेय कोई ब्याज, कमीशन या दलाली के रूप में किसी राशि का संदाय, या किराया, स्वामिस्व वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर कटौती योग्य है या किसी काम को करने के लिए (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है), ठेकेदार या उप ठेकेदार को जो निवासी है, संदेय रकम, जिस पर कर, अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य है, और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उसके पूर्व उसका संदाय नहीं किया गया है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ik) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का और प्रस्ताव है कि उक्त उपखंड के अधीन मोक का नहीं दिया जाना तीस प्रतिशत तक निर्बंधित होगा और इस धारा के उपबंध ऐसे सभी व्यय को, जो किसी ऐसे निवासी को संदेय है, लागू होंगे जिन पर कर अध्याय 17 के उपशीर्ष "ख. स्रोत पर कटौती" कटौती योग्य है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ik) के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां किसी ऐसी राशि की बाबत, कर की किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या पूर्ववर्ष के दौरान कटौती की गई है किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख के पश्चात् उसका संदाय किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ik) के पहले परंतुक का यह उपबंध करने के लिए भी संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां ऐसी किसी राशि की बाबत कर की कटौती किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में की गई है या कटौती पूर्ववर्ष के दौरान की गई है किन्तु उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसी राशि का तीस प्रतिशत ऐसे पूर्ववर्ष की आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 15** आय-कर अधिनियम की धारा 43 जो कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय से सुसंगत कतिपय निबंधनों की परिभाषाओं से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 43 के खंड (5) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में "सट्टे वाला संव्यवहार" पद को परिभाषित किया गया है । उक्त खंड (5) का परंतुक कतिपय वर्ग के संव्यवहारों को सट्टे वाले संव्यवहार से अपवर्जित करता है । उक्त परंतुक का खंड (ङ) यह उपबंधित करता है कि वस्तु व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में कोई पात्र संव्यवहार, जो किसी मान्यताप्राप्त संगम में किया गया हो, कोई सट्टे वाला संव्यवहार होना नहीं समझा जाएगा ।

उक्त परंतुक के खंड (ङ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे वस्तु व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में किसी मान्यताप्राप्त संगम में किया गया कोई ऐसा पात्र संव्यवहार जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 के अधीन वस्तु संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य कोई सट्टे वाला संव्यवहार नहीं समझा जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2014 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 16,** आय-कर अधिनियम की धारा 44कङ जो माल वाहन चलाने,किराए या पट्टे पर देने के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसके स्वामित्व में दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं और जो ऐसे माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार में लगा हुआ है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार की आय, पूर्ववर्ष में उसके स्वामित्व में के सभी माल वाहनों से, लाभों और अभिलाभों का योग समझी जाएगी । पूर्वोक्त उपधारा (2), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि भारी माल वाहनों की दशा में, ऐसे प्रत्येक माल वाहन से लाभ और अभिलाभ, पांच हजार रुपए और भारी माल वाहनों से भिन्न वाहनों की दशा में, प्रत्येक मास या मास के ऐसे भाग के लिए, जिसके दौरान वाहन निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, चार हजार पांच सौ रुपए या आय की विवरणी में उसके द्वारा यथा घोषित पूर्वोक्त रकमों से अधिक किसी रकम के बराबर समझा जाएगा ।

उक्त उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सभी प्रकार के माल वाहनों के लिए प्रति माह माह के भाग के लिए लाभ और अभिलाभ की रकम सात हजार पांच सौ रुपए या निर्धारिती द्वारा वस्तुतः अर्जित की गई रकम, इसमें जो भी अधिक हो, होगी ।

भारी माल वाहन के संदर्भ का लोप करने के लिए उक्त धारा के स्पष्टीकरण में पारिणामिक संशोधन करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 17,** आय-कर अधिनियम की धारा 45, जो पूंजी अभिलाभों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 45 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत किन्हीं लाभों या अभिलाभों के प्रभारण का उपबंध है । उपधारा (5) में उन पूंजी अभिलाभों के कराधान का उपबंध है जो अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण से, जहां प्रतिकर में किसी न्यायालय अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा वृद्धि या पुनः वृद्धि की जाती है, उद्भूत होते हैं । उक्त उपधारा के खंड (ख) में यह उपबंधित है कि जहां प्रतिकर की रकम में वृद्धि किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा की जाती है वहां उसे उस पूर्ववर्ष की, जिसमें निर्धारिती द्वारा रकम प्राप्त की जाती है, प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) के उक्त खंड (ख) में एक परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी अंतरिम आदेश के अनुसरण में प्राप्त प्रतिकर की रकम को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का अंतिम आदेश किया जाता है, 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 18**, आय-कर अधिनियम की धारा 47, जो अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 47 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि कतिपय संव्यवहार को पूंजी अभिलाभों के प्रभारण के प्रयोजन के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा ।

उक्त धारा में नया खंड (viiख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति का, जो ऐसी सरकारी प्रतिभूति है, जिस पर ब्याज का कालिक संदाय किया जाता है, किसी अनिवासी द्वारा किसी दूसरे अनिवासी को भारत के बाहर प्रतिभूतियों का निपटारा करने वाले किसी मध्यवर्ती के माध्यम से किया गया कोई अंतरण, पूंजी अभिलाभों के प्रभारण के प्रयोजन के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा । "सरकारी प्रतिभूति" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

एक नया खंड (vii) अन्तःस्थापित करके उक्त धारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अंतरणकर्ता को किसी कारबार न्यास द्वारा आबंटित यूनिटों के विनिमय में उस न्यास को विशेष प्रयोजन एकक के शेयर होते हुए पूंजी आस्ति के किसी अंतरण को धारा 45 के प्रयोजनों के लिए अंतरण के रूप में नहीं समझा जाएगा । विशेष प्रयोजन एकक का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (23चक) के स्पष्टीकरण में यथा उपबंधित है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम की धारा 48 जो संगणना करने के ढंग से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 48 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने के ढंग को विहित करता है । उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (v) किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" पद को परिभाषित करता है जिससे ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है, जो शारीरिक श्रम न करने वाले नगरीय कर्मचारियों के लिए ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्वगामी वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट किया जाए।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है, जो ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्वगामी वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नगरीय) में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट किया जाए ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 20,** आय-कर अधिनियम की धारा 49 जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंध, अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत अवधारण करने की पद्धतियों के लिए उपबंध करते हैं ।

धारा 49 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पूंजी आस्ति, किसी कारबार न्यास की इकाइयां होते हुए, धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफल में निर्धारिती की संपत्ति होती है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत, उक्त खंड में उसके लिए निर्दिष्ट शेयरों के अर्जन की लागत होना समझी जाएगी ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 21,** आय-कर अधिनियम की धारा 51,जो प्राप्त अग्रिम धन के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 51 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां कोई पूंजी आस्ति अपने अंतरण के लिए किसी पूर्व अवसर पर बातचीत का विषय थी वहां ऐसी बातचीत की बाबत निर्धारिती द्वारा प्राप्त और प्राधिकृत किसी अग्रिम या अन्य धन को, यथास्थिति, उस लागत में से, जिस पर आस्ति अर्जित की गई थी या अवलिखित मूल्य में से या उचित बाजार मूल्य में से काट लिया जाएगा ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त हुई कोई धनराशि, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की है, वहां ऐसी राशि, अर्जन की लागत की संगणना करने में, यथास्थिति, ऐसी लागत से, जिसके लिए आस्ति अर्जित की गई थी या, अवलिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 22,** आय-कर अधिनियम की धारा 54,जो निवास के लिए उपयोग में लाई गई संपत्ति के विक्रय पर लाभ के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 54 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां पूंजी अभिलाभ, ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है जो कोई निवास गृह है तथा निर्धारिती ने अंतरण तारीख से एक वर्ष पहले या दो वर्ष पश्चात् कोई निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है, वहां पूंजी अभिलाभ की रकम, उस सीमा तक छूट प्राप्त है, जो नए निवास गृह में विनिधान की गई है ।

पूर्वोक्त उपधारा के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि छूट तभी उपलब्ध है जब विनिधान भारत में स्थित एक निवास गृह के सन्निर्माण में किया गया है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 23,** आय-कर अधिनियम की धारा 54डग,जो पूंजी अभिलाभ का कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित किए जाने के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 54डग की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां पूंजी अभिलाभ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है और निर्धारिती ने छह मास की अवधि के भीतर दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का विनिधान किया है वहां संपूर्ण पूंजी अभिलाभ में से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ में इस प्रकार विनिधान किए गए पूंजी अभिलाभ के अनुपात पर कर प्रभारित नहीं किया जाएगा । उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंधित है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में किया गया कोई विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगा ।

उक्त उपधारा (1) के पहले परंतुक के नीचे एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें मूल आस्ति या आस्तियां अंतरित की जाती हैं, एक या अधिक मूल आस्तियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया जाता है और वह पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक का नहीं है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 24,** आय-कर अधिनियम की धारा 54च, जो गृह में विनिधान की दशा में कुछ पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी लाभ प्रभारित न किए जाने के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 54च की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां पूंजी अभिलाभ किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के जो निवास गृह नहीं है, अंतरण से उद्भूत होता है और निर्धारिती ने जिस तारीख को अंतरण हुआ था उस तारीख से पूर्व एक वर्ष या उसके पश्चात् दो वर्ष की कालावधि के भीतर निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर उसे सन्निर्मित किया है, वहां पूंजी अभिलाभ की रकम उस सीमा तक छूट प्राप्त है जो नए निवास गृह में विनिधान की गई है ।

पूर्वोक्त उपधारा के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि छूट तभी उपलब्ध है जब विनिधान भारत में स्थित एक निवास गृह के सन्निर्माण में किया गया है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 25,** आय-कर अधिनियम की धारा 56, जो अन्य स्रोतों से आय के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया खंड (ix) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए बातचीत के अनुक्रम में अग्रिम के रूप से या अन्यथा प्राप्त कोई धनराशि समपहृत हो जाती है और यदि ऐसी बातचीत के परिणामस्वरूप ऐसी पूंजी आस्ति का अंतरण नहीं होता है तो ऐसी धनराशि "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 26,** आय-कर अधिनियम की धारा 73, जो सट्टे के कारबार में हानियों के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 73 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी सट्टे के कारबार की बाबत हुई हानियों को मुजरा या अग्रनीत और किसी अन्य सट्टे के कारबार के लाभों के प्रति किए जाने के सिवाय मुजरा नहीं किया जा सकता है । धारा 73 के स्पष्टीकरण में यह उपबंधित है कि ऐसी कंपनी की दशा में जो अपनी आय मुख्यतया कारबार शीर्ष के अधीन प्राप्त कर रही है (उस कंपनी से भिन्न जिसका मुख्य कारबार, बैंककारी का या उधार और अग्रिम देने का है) और जहां उसके कारबार के किसी भाग में शेयरों का क्रय या विक्रय है, वहां ऐसे कारबार को इस धारा के प्रयोजन के लिए सट्टे का कारबार समझा जाएगा ।

धारा 73 के उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण के उपबंध ऐसी किसी कंपनी को भी लागू नहीं होंगे जिसका मुख्य कारबार शेयरों में व्यापार करने का है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 27,** आय-कर अधिनियम की धारा 80ग, जो जीवन बीमा प्रीमियम आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदाय के संबंध में कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80ग की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में, उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ष में संदत्त या निक्षिप्त संपूर्ण रकम की, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि है, जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है, कटौती की जाएगी ।

उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कटौती की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 28,** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ, जो केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80गगघ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि जहां किसी व्यष्टि ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी नियोजक द्वारा नियोजित है पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है, वहां ऐसी रकम की कटौती, जो वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, अनुज्ञात की जाएगी । यह धारा 80गगङ के अधीन उपबंधित एक लाख रुपए की सीमा के अध्यधीन है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियोजित किसी व्यष्टि को या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित किसी व्यष्टि को ऐसी पेंशन स्कीम के अधीन जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है या की जाए, उसके द्वारा अपने खाते में निक्षिप्त की गई रकम की कटौती, उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक की सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी।

एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन कटौतियों की रकम एक लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 29,** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगङ, जो धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौती की सीमा के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौती की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

धारा 80गगङ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कटौती की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 30,** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का, जो अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसे किसी उपक्रम को, जो,—(क) विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत के किसी भाग में स्थापित किया जाता है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्युत का उत्पादन करता है ; (ख) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है ; (ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय पारेषण और वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त उपधारा के खंड (iv) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे समय-सीमा को 31 मार्च, 2014 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 किया जा सके ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 31,** आय-कर अधिनियम की धारा 92ख, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के अर्थ के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 92ख के विद्यमान उपबंधों में अंतरण कीमत क्षेत्र के लागू होने के प्रयोजनों के लिए "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" का अर्थ उपबंधित है । उपधारा (1) में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार को दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच, जिनमें से कोई एक या दोनों अनिवासी हैं, मूर्त या अमूर्त संपत्ति के क्रय, विक्रय या पट्टे की सेवाओं की व्यवस्था या धन उधार देने या उधार लेने की प्रकृति के किसी संव्यवहार को या ऐसे किसी अन्य संव्यवहार को परिभाषित किया गया है जिसका ऐसे उद्यमों के लाभों, आय, हानियों या आस्तियों से संबंध है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में किसी उद्यम और असंबद्ध अन्य पक्षकार के बीच किसी संव्यवहार को, दो सहयुक्त उद्यमों के बीच के संव्यवहार के रूप में इस शर्त के अधीन रहते हुए, जिसमें यह उपबंधित है कि अन्य पक्षकार और सहयुक्त उद्यम के बीच सुसंगत संव्यवहार के संबंध में पूर्व करार विद्यमान है या सुसंगत संव्यवहार के निबंधनों को ऐसे अन्य पक्षकार और सहयुक्त उद्यम के बीच सारवान् रूप में अवधारित किया गया हो, समझे जाने का उपबंध है ।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सुसंगत संव्यवहार को इस बात को विचार में लिए बिना कि ऐसा अन्य व्यक्ति अनिवासी है या नहीं, उस दशा में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा, जहां उद्यम या सहयुक्त उद्यम या वे दोनों, अनिवासी हैं ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 32,** आय-कर अधिनियम की धारा 92गग का, जो अग्रिम मूल्यांकन करार के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 92गग के विद्यमान उपबंधों में बोर्ड को केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए या उस रीति को, जिसमें असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाना है, विनिर्दिष्ट करते हुए अग्रिम मूल्यांकन करार करने के लिए सशक्त बनाया गया है । ऐसा किया गया करार पांच पूर्व वर्षों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए । जब एक बार अग्रिम मूल्यांकन करार कर दिया जाता है, तब अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की ऐसी असन्निकट कीमत, जो उसकी विषयवस्तु है, को ऐसे करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा । उक्त धारा की उपधारा (9) के अधीन बोर्ड को ऐसी स्कीम, जिसमें अग्रिम मूल्यांकन करार की बाबत साधारणतया रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट हो, विहित करने के लिए सशक्त बनाया गया है ।

धारा 92 में एक नई उपधारा (9क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अग्रिम मूल्यांकन करार में, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, असन्निकट कीमत का अवधारण करने का उपबंध किया जाएगा या उस रीति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें असन्निकट कीमत को किसी व्यक्ति द्वारा पहले पूर्ववर्ष के पूर्व के चार पूर्ववर्षों से अनधिक की किसी अवधि के दौरान किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की दशा में अवधारित किया जा सकेगा जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत को उक्त करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा । यह और उपबंध किया गया है कि जहां ऐसे करार में पिछले संव्यवहारों की बाबत अवधारण किए जाने का उपबंध है, वहां ऐसे संव्यवहारों की असन्निकट कीमत को करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 33,** आय-कर अधिनियम की धारा 111क का, जो कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 111क की उपधारा (1) के उपबंधों में कतिपय मामलों में पन्द्रह प्रतिशत की रियायती दर पर कर के उद्ग्रहण का उपबंध है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कर की रियायती दर, कारबार न्यास की किसी यूनिट के अंतरण को वैसे ही लागू होगी जैसे वह साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट की दशा में लागू होती है । इसमें यह और प्रस्ताव है कि इस उपधारा के उपबंध कारबार न्यास की ऐसी यूनिटों के अंतरण से उद्भूत किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे जो धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफल स्वरूप निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई थीं ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 34**, आय-कर अधिनियम की धारा 112 का, जो दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 112 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत आय के मामले में संदेय कर के लिए उपबंध है । उपधारा (1) के परंतुक में यह उपबंधित है कि जहां ऐसी किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं या जीरो कूपन बंधपत्र के अंतरण से उद्भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर, सूचकांक समायोजन के बिना पूंजी अभिलाभों की रकम के दस प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा ।

पूर्वोक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसी किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के जो (किसी इकाई से भिन्न) सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या जीरो कूपन बंधपत्र हैं, अंतरण से उद्भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर, सूचकांक समायोजन के बिना पूंजी अभिलाभों की रकम के दस प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 35**, आय-कर अधिनियम की धारा 115क, जो विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115क की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में उन दरों का उपबंध है जिस पर आय-कर संदेय होगा, जहां किसी अनिवासी की (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में लाभांशों के रूप में (धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न) कोई आय या सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज या सरकार द्वारा या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार ली गई धनराशियां या उपगत ऋण या धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विदेशी करेंसी में क्रय की गई यूनिटों की बाबत प्राप्त आय सम्मिलित है ।

धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) का उसमें एक नया उपखंड (iiकग) अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी अनिवासी की (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में धारा 194ठखक की उपधारा (2) में

निर्दिष्ट ब्याज के रूप में वितरित आय सम्मिलित है, ऐसे ब्याज की आय, पांच प्रतिशत की दर से कराधेय होगी ।

धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) की मद (खक) और मद (घ) में पारिणामिक संशोधन करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 36,** आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग का, जो कतिपय मामलों में अनाम संदानों पर कर लगाए जाने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी निर्धारिती की, जो धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकघ) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (iiiकङ) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या धारा 11 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था की ओर से आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वहां ऐसी आय में अनाम संदान के रूप में कोई आय सम्मिलित है ।

उक्त धारा के खंड (ii) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा :—

(i) निम्नलिखित रकमों से अधिक रकम के प्राप्त अनाम संदानों के योग पर तीस प्रतिशत की दर से संगणित आय-कर की रकम, अर्थात् :—

(अ) निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुल संदानों के पांच प्रतिशत ; या

(आ) एक लाख रुपए ; और

(ii) आय-कर की वह रकम, जिससे निर्धारिती तब प्रभार्य होता, जब उसकी कुल आय में से खंड (i) के, यथास्थिति, उपखंड (अ) या उपखंड (आ) में निर्दिष्ट रकम से अधिक प्राप्त अनाम संदानों के योग को घटा दिया जाता ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 37,** आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ का, जो विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्धारिती की, जो भारतीय कंपनी है, 1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय में किसी विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर ऐसे लाभांशों के रूप में आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम और आय-कर की उस रकम, जिसके लिए निर्धारिती तब प्रभार्य हुआ होता, यदि उसकी कुल आय में से लाभांशों के रूप में पूर्वोक्त आय घटा दी जाती, का योग होगा । यह और उपबंधित है कि लाभांशों के रूप में उसकी आय की संगणना करने में किसी व्यय या भत्ते की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

धारा 115खखघ का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि विदेशी लाभांशों के कराधान के उपबंध वित्तीय वर्ष 2014-15 और पश्चात्वर्ती वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी लाभांशों को लागू बने रहेंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 38,** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग का, जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने लिए उपबंधों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115ञग के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि समायोजित कुल आय निकालने के लिए कुल आय में अध्याय 6क के भाग ग के अधीन दावा की गई कटौतियों और धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौतियों को जोड़ दिया जाएगा ।

उपधारा (2) में एक नया खंड (iii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समायोजित कुल आय निकालने के लिए धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटाकर आई कुल आय में भी धारा 35कघ के अधीन दावा की गई कटौतियों को जोड़ दिया जाएगा ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 39,** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञङङ का, जो अध्याय 12खक का कतिपय व्यक्तियों को लागू होने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115ञङङ की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अध्याय ऐसे किसी व्यक्ति को लागू होंगे जिसने अध्याय 6क के भाग ग के अधीन या धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा किया है । यह और कि धारा 115ञङङ की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि अध्याय, किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय को, चाहे वह निगमित हो या नहीं, यदि ऐसे व्यक्ति की समायोजित कुल आय बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

उपधारा (1) में नया खंड (ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अध्याय ऐसे व्यक्ति को लागू होगा जिसने धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया है ।

धारा 115ञङङ में नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 115ञग के अधीन संदत्त कर के लिए प्रत्यय, धारा 115ञघ के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 40,** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का, जो देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि देशी कंपनी द्वारा लाभांशों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर पंद्रह प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय-कर प्रभारित किया जाएगा ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अनुसार संदेय वितरित लाभों पर कर के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में कोई रकम, जो उक्त धारा की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट रकम को घटाकर आए [जिसे शुद्ध वितरित लाभ कहा गया है], उतनी रकम तक बढ़ा दी जाएगी, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी बढ़ाई गई रकम पर कर को घटाने के पश्चात् शुद्ध वितरित लाभों के बराबर हो ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 41,** आय-कर अधिनियम की धारा 115द, जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की किसी रकम पर, जहां ऐसे किसी व्यक्ति को, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, पांच प्रतिशत की दर पर और ऐसे किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब से भिन्न है, तीस प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय-कर प्रभारित किया जाएगा । इसमें यह और उपबंधित है कि पांच प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त कर किसी पारस्परिक निधि द्वारा किसी अवसंरचना ऋण निधि स्कीम के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अनिवासी है, वितरित आय की दशा में उद्गृहीत किया जाएगा ।

धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (2) के अनुसार संदेय अतिरिक्त आय-कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, उसमें निर्दिष्ट वितरित आय की रकम में उतनी रकम, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी बढ़ाई गई रकम पर अतिरिक्त आय-कर को घटाने के पश्चात्, बढ़ा दी जाएगी जो, वितरित आय की रकम के बराबर हो ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

धारा 115द की उपधारा (3क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, और यथास्थिति, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को या उसके पूर्व विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित एक विवरण देगा जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान यूनिट धारकों को वितरित आय की रकम, उस पर संदत्त कर के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे दिए जाएंगे जो विहित किए जाएं ।

पूर्वोक्त धारा 115द की उपधारा (3क) का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 42,** विनिधानकर्ताओं को वितरित आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115नक का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115नक की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के 15 सितम्बर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान विनिधानकर्ताओं को वितरित आय की रकम, उस पर संदत्त कर के ब्यौरे देते हुए विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित विवरण, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

पूर्वोक्त धारा 115नक की उपधारा (3) का लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 43,** आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 12चक, जो "कारबार न्यास से संबधित विशेष उपबंध" से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त अध्याय में,—

(क) यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यूनिट धारकों के पास वितरित आय, आय के उसी अनुपात और प्रकृति की होगी, जैसी न्यास के पास आय की है ;

(ख) यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि न्यास की, पूंजी अभिलाभ से भिन्न, कुल आय पर, न्यास पर अधिकतम सीमांत दर से कर लगाया जाएगा और पूंजी अभिलाभ पर कर धारा 111क और धारा 112 के अनुसार लगाया जाएगा ;

(ग) यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग, उसी अनुपात में और उसी प्रकृति का है जैसा धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट आय का है, तो ऐसी वितरित आय या उसके भाग को उस यूनिट धारक की आय समझा जाएगा और उस पर पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर प्रभारित किया जाएगा ;

(घ) यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी कारबार न्यास की ओर से किसी यूनिट धारक को वितरित आय या उसका किसी भाग का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, यूनिटधारक और विहित प्राधिकारी को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 44,** आय-कर अधिनियम की धारा 116, जो आय-कर प्राधिकारियों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 116 में आय-कर प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा 116 के अधीन आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त, आय-कर प्रधान आयुक्त, आय-कर प्रधान महानिदेशक और आय-कर प्रधान निदेशक को आय-कर प्राधिकारियों के रूप में सम्मिलित किया जाए ।

ये संशोधन, 1 जून, 2013 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 45,** आय-कर अधिनियम की धारा 133क, जो सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 133क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध आय-कर प्राधिकारी को ऐसे किसी परिसर में, जिसमें कारबार या वृत्ति की जाती है, सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 133क का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपधारा (2) के पश्चात् उपधारा (2क) इस बात का उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जा सके कि उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उपधारा के अधीन कार्य कर रहा आय-कर प्राधिकारी, इस बात का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए कि कर, यथास्थिति, अध्याय 17 के शीर्ष ख या अध्याय 17 के उपशीर्ष खख के अधीन के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटा गया या संगृहीत किया गया है, ऐसे किसी कार्यालय या किसी अन्य स्थान में, जहां कारबार या वृत्ति की गई है, उसे सौंपे गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसे किसी स्थान में, जिसकी बाबत, वह ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा, जिसे वह क्षेत्र सौंपा गया है, जिसके भीतर ऐसा स्थान स्थित है, जहां लेखा पुस्तकें या दस्तावेज रखे गए हैं, इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत हैं, सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर सकेगा और कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस समय और स्थान पर उस कार्य के लिए किसी रीति में उपस्थित हो,—

(i) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का, जिनकी वह अपेक्षा करे और उस स्थान पर उपलब्ध हों, निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने की, और

(ii) ऐसी सूचना, जिसकी वह ऐसे विषय के संबंध में अपेक्षा करे, प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा 133क की उपधारा (3) के खंड (iक) के परंतुक के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन इस धारा के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी, यथास्थिति, आयुक्त या मुख्य महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना केवल दस दिन की अवधि के लिए (अवकाशों को छोड़कर) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा 133क की उपधारा (3) का खंड (iक) के पूर्वोक्त खंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना पन्द्रह दिन से अधिक के लिए (अवकाश के दिनों को छोड़कर) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा ।

उपधारा (3) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2क) के अधीन कार्य करने वाला आय-कर प्राधिकारी खंड (iक) या खंड (ii) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं करेगा ।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 46,** आय-कर अधिनियम की धारा 133ग, जो विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मांगने की शक्ति से संबंधित है, का अंतःस्थापन करने के लिए है ।

एक नई धारा 133ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विहित आय-कर प्राधिकारी, अपने कब्जे में की किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को, कोई सूचना उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 47**, आय-कर अधिनियम की धारा 139, जो आय की विवरणी से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 139 की उपधारा (4ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, ऐसी कतिपय इकाइयों द्वारा, जिनकी आय अधिनियम की धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त है, आय की विवरणी फाइल किए जाने का उपबंध है ।

धारा 139 की उपधारा (4ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट पारस्परिक निधि और धारा 10 के खंड (23घक) में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास और धारा 10 के खंड (23चख) में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि, यदि ऐसी कुल आय, जिसकी बाबत निधि, न्यास या कपंनी निर्धार्य है, धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक होती है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष की ऐसी आय की विवरणी, जो विहित प्ररूप में हो, और विहित रीति में सत्यापित हो तथा जिसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत करेगी तथा अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, उसी रूप में लागू होंगे मानो वह ऐसी विवरणी है, जिसे उक्त धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

धारा 139 में नई उपधारा (4ङ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे ऐसे कारबार न्यास द्वारा, जिसका धारा के किसी अन्य उपबंध के अधीन आय या हानि की विवरणी देना अपेक्षित नहीं है, आय की विवरणी फाइल करने का उपबंध किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 48,** आय-कर अधिनियम की धारा 140, जो विवरणी किसके द्वारा हस्ताक्षरित हो, से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 140 विवरणी किसके द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित हो, के संबंध में है । अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी आय-कर विवरणी पर, हस्ताक्षर करने की शर्त से छूट प्रदान की जा सके तथा तदनुसार ऐसी विवरणी पर हस्ताक्षर करने की कानूनी अपेक्षा का लोप किया जा सके । इस संशोधन से आय-कर विवरणी को केवल सत्यापित करने की शर्त ही लागू होगी ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 49,** आय-कर अधिनियम की धारा 142क, जो कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन से संबंधित है, को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन अधिकारी से किसी विनिधान, किसी सोना-चांदी, आभूषण या उचित बाजार मूल्य की किसी संपत्ति के मूल्य का प्राक्कलन करने की अपेक्षा कर सकेगा । मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा ।

उक्त धारा 142क को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य, जिसके अंतर्गत उचित बाजार मूल्य भी है, प्राक्कलित करने और रिपोर्ट की एक प्रति उसे प्रस्तुत करने का निर्देश कर सकेगा ।

उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन इस बात का कोई निर्देश कर सकेगा कि उसका निर्धारिती के लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता के बारे में समाधान हो गया है कि नहीं ।

उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि मूल्यांकन अधिकारी को, उपधारा (1) के अधीन किए गए निर्देश पर आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य का प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन उसे प्राप्त हैं ।

उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि मूल्यांकन अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे साक्ष्य पर, जो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाए और उसके कब्जे से एकत्रित किसी अन्य साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित करेगा ।

उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि मूल्यांकन अधिकारी, यदि निर्धारिती सहयोग नहीं करता है या उसके निदेश का अनुपालन नहीं करता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित कर सकेगा ।

उपधारा (6) यह उपबंध करने के लिए है कि मूल्यांकन अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है, छह मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन किए गए प्राक्कलन की अपनी रिपोर्ट की एक प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा ।

उपधारा (7) यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने में ऐसी रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा ।

प्रस्तावित उपधारा (7) के पश्चात् आने वाला स्पष्टीकरण यह उपबंध करने के लिए है कि "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (द) में उसका है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 50,** आय-कर अधिनियम की धारा 145, जो लेखा पद्धति से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय, उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से प्रयुक्त रोकड़ या वाणिज्यिक लेखा पद्धति के अनुसार संगणित की जाएगी । उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार, निर्धारितियों के किसी वर्ग द्वारा या आय के किसी वर्ग की बाबत अनुसरण किए जाने वाले लेखा पद्धति मानकों को समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी । उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां निर्धारिती के लेखाओं के ठीक या पूर्ण होने के विषय में निर्धारण अधिकारी का समाधान नहीं होता है या जहां उपधारा (1) में उपबंधित लेखा पद्धति या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है वहां निर्धारण अधिकारी, धारा 144 में उपबंधित रीति से निर्धारण कर सकेगा ।

धारा 145 की उपधारा (2) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में निर्धारितियों के किसी वर्ग द्वारा या आय के किसी वर्ग की बाबत अनुसरण की जाने वाली आय संगणना की रीति और संबंधित प्रकटन मानक अधिसूचित कर सकेगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का भी प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती के लेखाओं के ठीक या पूर्ण होने के विषय में निर्धारण अधिकारी का समाधान नहीं होता है या जहां उपधारा (1) में उपबंधित लेखा पद्धति का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार आय की संगणना नहीं की गई है, वहां निर्धारण अधिकारी धारा 144 में उपबंधित रीति से निर्धारण कर सकेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से लागू होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 51,** आय-कर अधिनियम की धारा 153, जो निर्धारणों और पुनःनिर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड (iv) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी, धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, अवधि को धारा 153 के प्रयोजनों के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 52**, आय-कर अधिनियम की धारा 153ख, जो धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 153ख के स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों को धारा 153क के अधीन निर्धारण को पूरा करने के लिए उक्त धारा में अधिकथित परिसीमा की अवधि की संगणना करते समय अपवर्जित किया जाना है ।

पूर्वोक्त स्पष्टीकरण में एक नया खंड (iiक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी आय कर अधिनियम की धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, अवधि को धारा 153ख के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना से अपवर्जित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 53,** आय-कर अधिनियम की धारा 153ग, जो किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों से यह उपबंधित है कि धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज या लेखा बहियां या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित दस्तावेज धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं वहां लेखा बही या दस्तावेज या अभिग्रहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा।

उक्त उपधारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज या लेखा बहियां या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित दस्तावेज, धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं वहां लेखा बही या दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां, ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और वह निर्धारण अधिकारी, प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और सूचना जारी करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लेखा बहियां, दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां धारा 153क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के अवधारण से संबंधित हैं, तो ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 54,** आय-कर अधिनियम की धारा 194क, जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 194क की उपधारा (3) में एक नया खंड (xi) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे विशेष प्रयोजन एकक किसी कारबारी न्यास को संदेय ब्याज की आय पर स्रोत पर कर की कटौती से छूट दी जा सके ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 55,** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194घक, जो जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

एक नई धारा 194घक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को, जीवन बीमा पालिसी के अधीन कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में

आबंटित ऐसी राशि भी है, जो धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य रकम से भिन्न है, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसके संदाय के समय उस पर दो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले को, यथास्थिति, किए गए ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम एक लाख रुपए से कम है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 56,** आय-कर अधिनियम में नई धारा 194ठखक, जो किसी कारबार न्यास से कतिपय आय के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त नई धारा का प्रस्ताव कारबार न्यास के अनिवासी यूनिट धारकों की दशा में, पांच प्रतिशत की दर से और निवासी यूनिट धारकों की दशा में दस प्रतिशत की दर से, न्यास की वितरित आय के उस भाग पर, जो यूनिट धारक को मिलने पर कराधेय है, कर की कटौती का उपबंध करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 57,** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग, जो भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विधारित कर की निम्नतर दर का फायदाप्रद उपबंध, उसमें उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी भारतीय कंपनी को उपलब्ध है ।

उक्त धारा का कारबार न्यास द्वारा, धारा में उपबंधित समान शर्तों के अधीन रहते हुए, बाह्य वाणिज्यिक उधारों के मामले में ब्याज से आय पर घटे हुए विधारित कर के फायदे का उपबंध करने के लिए है, संशोधन करने का प्रस्ताव है।

धारा 194ठग की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन पांच प्रतिशत की दर से निम्न प्रत्याहूत कर दर के लिए पात्र ब्याज विनिर्दिष्ट किया गया है । केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के रूप में या ऋण करार के अधीन भारत से बाहर स्रोतों से विदेशी करेंसी में विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा लिए गए उधारों पर उसके द्वारा संदेय ब्याज आय होगी । यह उपधारा यह और उपबंध करती है कि 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जुलाई, 2015 से पूर्व किसी समय उधार लिए जाने चाहिए ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उधार, वर्तमान में उपबंधित 1 जुलाई, 2015 की अंतिम तारीख के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 के पूर्व लिए जा सकेंगे । यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस धारा का फायदा वर्तमान में उपबंधित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों को, जिनके अंतर्गत दीर्घकालिक बंधपत्र भी हैं, प्राप्त होगा ।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 58,** आय-कर अधिनियम की धारा 200, जो कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यथास्थिति, कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है या कोई व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा, और ऐसा विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा ।

पूर्वोक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा व्यक्ति, जो पूर्वोक्त उपधारा के अधीन विवरण परिदत्त करता है, किसी भूल की परिशुद्धि के लिए या इस उपधारा के अधीन परिदत्त विवरण में दी गई जानकारी में कुछ जोड़ने, हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित एक संशोधन विवरण विहित प्राधिकारी को परिदत्त कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 59,** आय-कर अधिनियम की धारा 200क, जो स्रोत पर कर की कटौती के विवरण की प्रक्रिया से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां स्रोत पर कर कटौती का कोई विवरण धारा 200 के अधीन किसी धनराशि की कटौती करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया है, वहां ऐसे विवरण पर उक्त उपधारा में उपबंधित रीति में कार्रवाई की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि इसमें स्रोत पर कर कटौती के विवरण के अतिरिक्त संशोधन विवरण भी सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 60,** आय-कर अधिनियम की धारा 201, जो कटौती करने या संदाय करने की असफलता के परिणामों से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 201 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उपधारा (1) के अधीन भारत में निवासी किसी व्यक्ति को संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफलता के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 200 में निर्दिष्ट विवरण फाइल किया गया है, अंत से दो वर्ष तथा किसी अन्य मामले में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, अंत से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा ।

धारा 201 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन भारत में निवासी किसी व्यक्ति को संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफलता के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, सात वर्ष के अवसान के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 61**, आय-कर अधिनियम की धारा 206कक, जो स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (7) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया गया है कि धारा 206कक, अधिनियम की धारा 194ठग में निर्दिष्ट दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय के संबंध में लागू नहीं होगी ।

उपधारा (7) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 206कक अधिनियम की धारा 194ठग में निर्दिष्ट दीर्घकालिक बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय के संबंध में लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 62,** आय-कर अधिनियम की धारा 220, जो कर कब संदेय होगा और निर्धारिती को कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा, से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि कोई रकम, जो धारा 156 के अधीन किसी मांग की सूचना में संदेय के रूप में विनिर्दिष्ट हो, सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर सूचना में वर्णित स्थान पर और व्यक्ति को संदत्त की जाएगी ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी मांग सूचना की किसी निर्धारिती पर तामील की गई है और, यथास्थिति, उक्त मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत ऐसी कोई अपील फाइल की जाती है, या अन्य कार्यवाही आरंभ की जाती है वहां ऐसी मांग सूचना को, यथास्थिति, अंतिम अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटारा किए जाने तक या कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने तक विधिमान्य समझा जाएगा और मांग की ऐसी किसी सूचना का प्रभाव कराधान विधियां (वसूली की कार्यवाहियां को चालू रखा जाना और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1964 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) का पहला परंतुक यह उपबंधित करता है कि जहां धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 264 के अधीन दिए गए किसी आदेश या धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वह रकम जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, कम कर दी गई है वहां ब्याज तदनुसार कम कर दिया जाएगा और संदत्त किया गया अधिक ब्याज, यदि कोई हो, प्रतिदत्त कर दिया जाएगा ।

उक्त धारा में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट धाराओं के अधीन उस रकम को, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, कम कर दिया गया था और तत्पश्चात् उक्त धाराओं या धारा 263 के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप उस रकम को, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, बढ़ा दिया जाता है तो निर्धारिती, उपधारा (1) में निर्दिष्ट पहली मांग सूचना में वर्णित किसी अवधि के अंत से ठीक बाद के दिन से और उस दिन तक जिसको रकम का संदाय किया जाता है, समाप्त होने वाले दिन तक, उपधारा (2) के अधीन ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

ये संशोधन 1 अक्तबूर, 2014 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 63,** आय-कर अधिनियम की धारा 269धध का, जो कुछ उधार और निक्षेप लेने या प्रतिग्रहण करने का ढंग के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप, पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही लेगा अन्यथा नहीं, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम अथवा ऐसे उधारों या निक्षेपों की कुल रकम बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप, पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा ही लेगा या प्रतिग्रहीत करेगा अन्यथा नहीं, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम अथवा ऐसे उधारों या निक्षेपों की कुल रकम बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 64,** आय-कर अधिनियम की धारा 269न का, जो कतिपय उधारों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय का ढंग के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी उधार या किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा अन्यथा नहीं, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम उस पर ब्याज सहित या ऐसे उधारों या निक्षेपों पर संदेय ब्याज सहित कुल रकम, बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

धारा 269न का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, उसको दिए गए किसी उधार या किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय ऐसे व्यक्ति के, जिसने ऐसा उधार दिया है या निक्षेप किया है, नाम लिखे गए, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा ही करेगा अन्यथा नहीं, यदि उधार या निक्षेप की रकम उस पर संदेय ब्याज सहित या ऐसे उधारों या निक्षेपों पर संदेय ब्याज सहित, यदि कोई है, बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 65,** आय-कर अधिनियम की धारा 271चक का, जो वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 271चक के विद्यमान उपबंधों में, वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 66,** नई धारा 271चकक को अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

एक नई धारा 271चकक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 285खक की उपधारा (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, विवरण में गलत सूचना देता है, और जहां, (क) अशुद्धि, धारा 285खक की उपधारा (7) में विहित सम्यक् तत्परता की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता के कारण हुई है या व्यक्ति की ओर से जानूबझकर की गई है ; या (ख) व्यक्ति को, वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रदान करते समय अशुद्धि के बारे में जानकारी थी किन्तु वह आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को सूचित नहीं करता है ; या (ग) व्यक्ति को अशुद्धि के बारे में वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् पता चलता है और वह धारा 285खक की उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने और सही सूचना देने में असफल रहता है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति पचास हजार रुपए की रकम का शास्ति के रूप में उस दशा में संदाय करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 67**, आय-कर अधिनियम की धारा 271छ जो अधिनियम की धारा 92घ के अधीन जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होने के लिए शास्ति का उद्ग्रहण करने से संबंधित संशोधन करने के लिए है ।

धारा 271छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार करता है, धारा 92घ की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित कोई ऐसा दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रत्येक असफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि की शास्ति के लिए दायी होगा । उक्त धारा में यह उपबंधित है कि उपरोक्त शास्ति, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) द्वारा उद्गृहीत की जा सकेगी ।

धारा 271छ का, उसमें निर्धारण अधिकारी और आयुक्त (अपील) के अतिरिक्त, धारा 271छ के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में धारा 92गक में यथानिर्दिष्ट अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को सम्मिलित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 68**, आय-कर अधिनियम की धारा 271ज का, जो विवरण, आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 271ज की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में उन परिस्थितियों का उपबंध किया गया है, जिनमें व्यक्ति शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

धारा 271ज की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 271ज के अधीन उद्गृहीत शास्ति निर्धारण अधिकारी द्वारा उद्गृहीत की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 69,** आय-कर अधिनियम की धारा 276घ, जो लेखे और दस्तावेज पेश करने में असफल रहने से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 276घ के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना में यथा अपेक्षित लेखे और दस्तावेजें पेश करने में जानबूझकर असफल रहेगा या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसे दिए गए निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो हर दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है चार रुपए से अन्यून या दस रुपए से अनधिक की दर से संगणित राशि के बराबर होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

धारा 276घ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना में यथा अपेक्षित लेखे और दस्तावेजें पेश करने में जानबूझकर असफल रहेगा या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसे जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 70**, आय-कर अधिनियम की धारा 281ख, जो कुछ दशाओं में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 281ख की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण की किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारण से संबंधित किसी संपत्ति को दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति से अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा । उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि अनंतिम कुर्की, छह मास की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी, परंतु मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसी कालावधि को कुल दो वर्ष की कालावधि तक बढ़ा सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनंतिम कुर्की छह मास की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी, परन्तु, मुख्य आयुक्त या आयुक्त, ऐसी कालावधि को कुल दो वर्ष की कालावधि या निर्धारण या पुनःनिर्धारण की तारीख के पश्चात् साठ दिन तक, इनमें से जो पश्चात्वर्ती हो, बढ़ा सकेगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 71**, आय-कर अधिनियम की धारा 285खक, जो वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता से संबंधित है, के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

धारा 285खक के विद्यमान उपबंधों में, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों की बाबत, जो उनके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित हैं और जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, वार्षिक सूचना विवरणी विहित आय-कर प्राधिकारी को फाइल किए जाने का उपबंध है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी विहित रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था द्वारा किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते की बाबत सूचना का विवरण विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का उपबंध किया जा सके । इसमें यह और प्रस्ताव है कि सूचना का विवरण ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत किया जाएगा ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (5) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के अनुसरण में कोई सूचना का विवरण प्रस्तुत किया है, उस विवरण में दी गई सूचना में की किसी अशुद्धि की जानकारी होती है या उसका पता चलता है, तो वह दस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, उस विवरण में की अशुद्धि की सूचना देगा और सही सूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

यह भी प्रस्ताव है कि केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना है ;

(ख) सूचना की प्रकृति और वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें ऐसी सूचना खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखी जाएगी ; और

(ग) व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी सम्यक् तत्परता को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रिपोर्ट योग्य खाते की पहचान के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा ।

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 72,** सीमाशुल्क अधिनियम का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क अधिनियम में सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त के प्रति किए गए निर्देश के अंतर्गत, यथास्थिति, सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त के निर्देश को भी सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 73,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिकारियों के वर्ग में सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 74,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 15 का "या यान" शब्द अंतःस्थापित करने हेतु संशोधन करने के लिए है जिससे परिवहन के अन्य साधनों के साथ यान द्वारा पहुंचाए गए पहुंचाए गए आयातित माल के शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर का अवधारण करने के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को अवधारित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 75,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध करने के लिए उसमें उपधारा (7) और उपधारा (8) अंतःस्थापित की जा सके कि राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 6 और धारा 7 में यथा निर्दिष्ट क्रमशः भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निष्कर्षित या उत्पादित खनिज तेलों को जिनके अर्थात् पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी हैं जो 7 फरवरी, 2002 के पूर्व आयातित किए गए हैं सीमाशुल्क से छूट प्राप्त समझा जाएगा और सदैव से छूट प्राप्त समझा जाएगा । इसमें यह और उपबंधित है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे खनिज तेलों की बाबत किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी । इसमें यह भी उपबंधित है कि उसमें विनिर्दिष्ट खनिज तेलों के संबंध में ऐसी छूट की बाबत ऐसी छूट के होते हुए भी ऐसे खनिज तेलों के संबंध में संदत्त सीमाशुल्क का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 76,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे पहले परंतुक का लोप और अग्रिम जोखिम निर्धारण, प्रक्रमण और विधि सम्मत व्यापार को सुकर बनाने के लिए भूमि स्थित सीमाशुल्क स्टेशनों पर अग्रिम आयात घोषणा फाइल करने हेतु समर्थ बनाने की दृष्टि से दूसरे परंतुक का संशोधन किया जा सके जिससे उसे समुद्र पत्तन और विमान पत्तन की पद्धतियों के समान और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 77,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क के खंड (च) का संशोधन करने के लिए है, जिससे आयोग को पुनर्नामित करने की दृष्टि से, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का **खंड 78,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख की उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसे दस्तावेजों के आधार पर समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने हेतु आवेदक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उसमें कतिपय और दस्तावेज सम्मिलित किए जा सकें । यह शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज के विद्यमान उपबंध के अनुरूप बनाने के लिए "धारा 28कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 28कक" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित करने के लिए उसके खंड (ग) का संशोधन करने के लिए भी है । यह उपधारा (2) का लोप करने के लिए भी है क्योंकि यह निरर्थक हो गई है और इसके भिन्न-भिन्न निर्वचन होते हैं ।

विधेयक का **खंड 79,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ की उपधारा (1) के खंड (i) का इस भ्रम से बचने हेतु कि छिपाव सीमाशुल्क अधिकारी से किया गया है या समझौता आयोग से किया गया है और उस उपबंध को स्पष्ट करने हेतु संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि शुल्क के दायित्व की विशिष्टियों का छिपाया जाना सीमाशुल्क अधिकारी से किए गए किसी छिपाव से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 80**, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखने के लिए है जिससे दो लाख रुपए तक के मामलों में अपील ग्रहण करने से इंकार करने के लिए अधिकरण को विवेकानुसार शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 81,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख की उपधारा (2क) के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप करने के लिए है, जिससे धारा 129ङ के स्थान पर, एक नई धारा का प्रतिस्थापन किए जाने के दृष्टव्य पारिणामिक परिवर्तन किए जा सकें ।

विधेयक का **खंड 82**, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे बोर्ड में उस अवधि को, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त उपधारा में नियत अवधि के भीतर आदेश नहीं करने का पर्याप्त कारण है, बढ़ाने की शक्ति निहित की जा सके ।

विधेयक का **खंड 83,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङ को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अधिकरण के समक्ष अपील फाइल किए जाने के पूर्व मांगे गए शुल्क या उद्गृहीत शास्ति या दोनों का कतिपय प्रतिशत जमा करने का उपबंध करने के लिए है । यह, यह और उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के उपबंध विधेयक के अधिनियमन के पूर्व अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित रोक संबंधी आवेदनों और अपीलों को लागू नहीं होंगे ।

विधेयक का **खंड 84,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 131खक की उपधारा (4) में "आयुक्त (अपील)" शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अपील, आवेदन, पुनरीक्षण आवेदन या निर्देश की सुनवाई करने वाले आयुक्त (अपील) को उन परिस्थितियों पर विचार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके जिनके अधीन अपील, आवेदन, पुनरीक्षण आवेदन या निर्देश, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा उसकी उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में फाइल नहीं किया गया था ।

विधेयक का **खंड 85,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, तारीख 8 फरवरी, 2013 से, 10 जुलाई, 2014 तक भूतलक्षी रूप से, संशोधन करने के लिए है जिससे इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घरेलू देशी उपभोक्ताओं या गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) को प्रदाय के लिए आयात की गई द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को छूट दी जा सके ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 86,** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (2क) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 87,** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे,—

(क) एक टैरिफ मद का लोप किया जा सके ; और

(ख) कतिपय टैरिफ मदों पर सीमाशुल्क की दर को पुनरीक्षित किया जा सके ; और

(ग) कतिपय माल की बाबत स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट यूनिटों का संशोधन किया जा सके।

उत्पाद-शुल्क

विधेयक का **खंड 88,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस अधिनियम में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के प्रति किए गए निर्देश के अंतर्गत, यथास्थिति,केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त को भी सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 89,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की परिभाषा में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 90,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में एक नई धारा 15क अंतःस्थापित करने के लिए जिससे कि केंद्रीय सरकार को ऐसे किसी प्राधिकारी या अभिकरण को, जिसको सूचना विवरणी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा फाइल की जाएगी, जैसे कि आय-कर प्राधिकारी, राज्य विद्युत बोर्ड, मूल्य वर्धित कर प्राधिकारी या विक्रय-कर प्राधिकारी, कंपनी रजिस्ट्रार को विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके । अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जैसे कि कर अपवंचकों का पता लगाने के लिए या अभिपुष्ट शोध्य राशियों की वसूली के लिए सूचना एकत्र की जा सकेगी । यह नई धारा 15ख को अंतःस्थापित करने के लिए भी है जिसमें सूचना विवरणी प्रस्तुत न किए जाने की दशा में शास्ति के अधिरोपण का उपबंध है ।

विधेयक का **खंड 91,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के खंड (छ) का संशोधन करने के लिए है, जिससे आयोग को पुनर्नामित करने की दृष्टि से, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क" शब्दों के स्थान पर, "सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का **खंड 92,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 का, धारा 31 के खंड (छ) में संशोधन करने की दृष्टि से पारिणामिक परिवर्तन करने के दृष्टव्य संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 93,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (1) का उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे कि समझौता आयोग को उस दशा में, जहां आवेदक द्वारा विवरणियां फाइल नहीं की जाती हैं, उसके आवेदन को ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके। यह "धारा 11कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 11कक" शब्द, अंक और अक्षर रखने के लिए भी है, जिससे इसे शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज के विद्यमान उपबंध के अनुरूप बनाया जा सके । यह उस धारा की उपधारा (2) का लोप करने के लिए भी है क्योंकि वह निरर्थक हो गई है और इससे भिन्न-भिन्न निर्वचन होते हैं ।

विधेयक का **खंड 94,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण की उपधारा (1) के खंड (i) का इस भ्रम से बचने कि छिपाव केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से किया गया है या समझौता आयोग से किया गया है और इस उपबंध को स्पष्ट करने हेतु संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि शुल्क के दायित्व की विशिष्टियों का छिपाया जाना केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से किए गए ऐसे किसी छिपाव से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 95,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख का संशोधन करने के लिए है जिससे कि —

उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जा सकें जिससे कि दो लाख रुपए तक के मामलों में अपील ग्रहण करने से इंकार करने के लिए अधिकरण को विवेकानुसार शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

उपधारा (1ख) के खंड (i) का संशोधन किया जा सके जिससे कि बोर्ड को समिति का गठन, राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना के बजाय आदेश द्वारा, करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 96,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग की उपधारा (2क) के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप करने के लिए है, जिससे धारा 35च के स्थान पर, एक नई धारा का प्रतिस्थापन किए जाने के दृष्टव्य पारिणामिक परिवर्तन किए जा सकें ।

विधेयक का **खंड 97,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि बोर्ड में उस अवधि को, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त उपधारा में नियत अवधि के भीतर आदेश नहीं करने का पर्याप्त कारण है, बढ़ाने की शक्ति निहित की जा सके ।

विधेयक का **खंड 98,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च को अपील के फाइल किए जाने के पूर्व मांगे गए शुल्क या उद्गृहीत शास्ति की कतिपय प्रतिशतता जमा कराने का उपबंध करने के लिए है । यह, यह भी उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के उपबंध विधेयक के अधिनियमन के पूर्व अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित रोक संबंधी आवेदनों और अपीलों को लागू नहीं होंगे ।

विधेयक का **खंड 99,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ठ में एक नई उपधारा (2) का अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि कराधेयता या उत्पाद-शुल्क्यता से संबंधित विवादों का अवधारण, "शुल्क की दर से संबंधित किसी प्रश्न का अवधारण" पद के अधीन सम्मिलित है ।

विधेयक का **खंड 100,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35द की उपधारा (4) में "आयुक्त (अपील)" शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अपील, आवेदन, पुनरीक्षण आवेदन या निर्देश की सुनवाई करने वाले आयुक्त (अपील) को उन परिस्थितियों पर विचार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके जिनके अधीन अपील, आवेदन, पुनरीक्षण आवेदन या निर्देश, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा उसकी उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में फाइल नहीं किया गया था ।

विधेयक का **खंड 101,** पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 के, जो अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 127(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 [अधिसूचना सं0 30/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जुलाई, 2008] द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, नियम 8 का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, 13 अप्रैल, 2010 से भूतलक्षी रूप से, संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त नियम के पहले परंतुक को प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 102,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना [अधिसूचना सं0 5/2006-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006], द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 का पांचवीं अनुसूची भूतलक्षी रूप से, —

(क) 29 जून, 2010 से 16 मार्च, 2012 तक संशोधन करने के लिए है जिससे कि—

(i) प्लास्टिक स्क्रैप या पॉलीथेलिन टेरीफिथलेट बोतलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न पर ।

(ii) ऐसे सन पर, जो कारखाने के भीतर प्रविष्टि (i) में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उसके उत्पादन हेतु विनिर्मित और लाभप्रद रूप में उपभोग किया गया हो,

उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा सके ;

(ख) 1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 तक संशोधन करने के लिए जिससे बहुमूल्य धातु की बिना ब्रांड की वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की जा सके ।

विधेयक का **खंड 103,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना, अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से निम्नलिखित तारीख से भूतलक्षी रूप से —

(i) 8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 तक संशोधन करने के लिए जिससे इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन

लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) को प्रदाय के लिए द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को छूट प्रदान की जा सके ; और

(ii) 17 मार्च, 2012 से 7 मई, 2012 तक प्लास्टिक स्क्रैप या पॉलीथेलिन टेरीफिथलेट बोतलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न को उत्पाद-शुल्क से, छूट प्रदान की जा सके ;

(iii) 17 मार्च, 2012 से 10 जुलाई, 2013 तक ऐसे सन को, जो कारखाने के भीतर उपरोक्त प्रविष्टि (ii) में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उपभोग किया गया हो, उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की जा सके ।

विधेयक का **खंड 104,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय मदों को अंतःस्थापित किया जा सके और कतिपय मदों को संशोधित किया जा सके ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 105,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे,—

(क) कतिपय टैरिफ मदों पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की दर को पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ख) टैरिफ मद का लोप किया जा सके ;

(ग) टैरिफ मद में परिवर्तन समाविष्ट किए जा सकें ;

(घ) कतिपय माल की बाबत स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट यूनिटों का संशोधन किया जा सके ।

सेवा कर

विधेयक का **खंड 106,** वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5, जो सेवा कर से संबंधित है, के कतिपय उपबंधों का निम्नलिखित रीति में संशोधन करने के लिए है,—

उपखंड (क) धारा 65ख के खंड (32) का संशोधन करने के लिए है जिससे "मीटर वाली कैब" की परिभाषा से रेडियो टैक्सी को अपवर्जित किया जा सके और उसमें एक नया खंड (39क) अंतःस्थापित किया जा सके, जिससे "प्रिंट मीडिया" की परिभाषा का, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, उपबंध किया जा सके ।

उपखंड (ख) धारा 66घ का संशोधन करने के लिए है जिससे कि-

(क) खंड (छ) को प्रतिस्थापित किया जा सके और प्रिंट मीडिया के लिए स्थान के विक्रय को सेवाओं की नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट किया जा सके ;

(ख) खंड (ण) के उपखंड (vi) से "रेडियो टैक्सी" का लोप किया जा सके जिससे रेडियो टैक्सियों द्वारा दी गई सेवाओं पर सेवा कर के उद्ग्रहण का, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, उपबंध किया जा सके ।

उपखंड (ग) धारा 67क का संशोधन करने के लिए है जिससे "विनिमय दर" के संबंध में स्पष्टीकरण, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, प्रतिस्थापित किया जा सके ।

उपखंड (घ) धारा 73 का, उसमें उपधारा (4ख) अंतःस्थापित करने की दृष्टि से, संशोधन करने के लिए है जिससे न्यायनिर्णयन के लिए समय सीमा, अनुषक्त किए जाने वाले मामले की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, जहां संभव हो, छह मास या एक वर्ष विनिर्दिष्ट की जा सके ।

खंड (ङ), धारा 80 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे धारा 78 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के प्रति निर्देश का लोप किया जा सके ।

खंड (च), धारा 82 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अपर आयुक्त या ऐसा अन्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जिसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई दस्तावेजें या बहिएं या वस्तुएं, जो उसकी राय में इस अध्याय के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, किसी स्थान में छिपाई हुई हैं, वहां वह किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों या बहियों या वस्तुओं के लिए तलाशी लेने और अभिगृहीत करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या स्वयं तलाशी ले सकेगा या उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा;

खंड (छ), धारा 83 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (2क), धारा 15क और धारा 15ख के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

उपखंड (ज) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उपधारा (1क) के खंड (i) का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को एक समिति का गठन, राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना के बजाय आदेश द्वारा, करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । यह उक्त धारा का संशोधन करने के लिए भी है जिससे उसकी उपधारा (6क) के खंड (क) में "रोके जाने की मंजूरी या" शब्दों का लोप किया जा सके ।

उपखंड (झ) धारा 87 का, उसके खंड (ग) में परंतुक अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है, जिससे कि पूर्वाधिकारी की शोध्यों की वसूली किसी उत्तराधिकारी की आस्तियों से करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

उपखंड (ञ), धारा 94, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (ट), उक्त अधिनियम की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को इस अध्याय में प्रस्तावित विधान द्वारा अंतःस्थापित कतिपय उपबंधों की दशा में कठिनाई को दूर करने हेतु आदेश जारी करने के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के अधिनियमन की तारीख से एक वर्ष तक सशक्त बनाया जा सके ।

उपखंड (ठ), धारा 100 अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 1 जुलाई, 2012 के पूर्व प्रदान की गई कराधेय सेवाओं की दशा में भूतलक्षी रूप से छूट का उपबंध किया जा सके ।

प्रकीर्ण

विधेयक का **खंड 107**, वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का टैरिफ मद 2402 20 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करने हेतु संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 108**, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि आय-कर अधिनियम, 1961 या आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी रकम के संबंध में नियत दिन को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कोई आय-कर या कोई अन्य कर संदेय नहीं होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे आय-कर छूट का फायदा उक्त उपक्रम को 1 अप्रैल, 2014 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए दिया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2014 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 109**, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7, जो स्टाक एक्सचेंज पर किसी कंपनी के साधारण शेयरों के संव्यवहार पर प्रतिभूति संव्यवहार कर के उद्ग्रहण करने के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

कारबार न्यास की यूनिटों के संव्यवहारों पर प्रतिभूति संव्यवहार कर के उद्ग्रहण का उपबंध उन्हीं आधारों पर करने के लिए, जो किसी कंपनी में साधारण शेयरों के संव्यवहार को लागू होते हैं, उक्त अध्याय का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 110,** वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के पार्श्वशीर्ष और उसकी सातवीं अनुसूची का नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है जिससे वातित जल और अन्य जल, जिसमें मिलाई गई चीनी पर 5% उपकर अधिरोपित किया जा सके और फिल्टर वाली सिगरेट से संबंधित टैरिफ मद 2402 20 60 का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 111,** वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसके अधीन स्वच्छ ऊर्जा उपकर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों की परिधि का विस्तार किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 112,** वित्त अधिनियम, 2014 का निरसन करने के लिए है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 10, जो आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है, के खड (23ग), का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा के खंड (23ग) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपखंड (iiiकख) और उपखंड (iiiकग) के प्रयोजनों के लिए उनमें निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को किसी पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित समझा जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को, सरकारी अनुदान उस सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, उस विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियों की, जिनके अंतर्गत कोई स्वैच्छिक अभिदाय भी हैं, ऐसी प्रतिशतता से, जो विहित की जाए, अधिक है ।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ जो, "विनिर्दिष्ट कारबार" पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) और उपधारा (8) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार के प्रति लागू होंगे, यदि वह अपना प्रचालन 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है, जहां कि विनिर्दिष्ट कारबार अर्द्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण यूनिट की स्थापना करने और उसका प्रचालन करने की प्रकृति का है और जो बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित किया जाता है ।

विधेयक का खंड 32 आय-कर अधिनियम की धारा 92गग में, जो अग्रिम मूल्यांकन करार से संबंधित है, एक नई उपधारा (9क) अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (9क) में यह उपबंधित है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, असन्निकट कीमत का अवधारण करने का या उस रीति को विनिर्दिष्ट करने का उपबंध किया जा सके, जिसमें असन्निकट कीमत का किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्ववर्षों में से प्रथम पूर्ववर्ष से पूर्व के चार पूर्ववर्षों से अनधिक की किसी अवधि के दौरान किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारण किया जाएगा और उस अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत का अवधारण उक्त करार के अनुसार किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 43 एक नए अध्याय 12चक को, जो कारबार न्यास से संबंधित विशेष उपबंधों से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त अध्याय की धारा 115पक, जो यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर लगाए जाने से संबंधित है, की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि किसी कारबार न्यास की ओर से किसी यूनिट धारक को वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति यूनिट धारक और विहित प्राधिकारी को, ऐसे समय और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित की जाए, एक विवरण, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, दिए गए हों, प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 46 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 133ग, जो विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मंगाने की शक्ति से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंधित है कि ऐसा आय-कर प्राधिकारी, जो विहित किया जाए, अपने कब्जे में की किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को, कोई सूचना उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए सुसंगत हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 66 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271चकक, जो वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, उस विवरण में गलत सूचना देता है और जहां उस व्यक्ति को उस अशुद्धि की जानकारी है किंतु वह ऐसे आय-कर प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, उसकी सूचना नहीं देता है तो विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

विधेयक का खंड 71 धारा 285खक, जो वित्तीय संव्यवहार और रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता से संबंधित है, के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो विहित रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था है, जो किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार को या ऐसे किसी रिपोर्ट योग्य खाते को, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित किया जाए, रजिस्टर करने या उसकी लेखा बहियां या उसके अभिलेख वाले अन्य दस्तावेज को रखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या ऐसे रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में, जो उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए गए हैं या रखे गए हैं और जिससे संबंधित जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, एक विवरण, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा समय में प्रस्तुत की जाएगी, जो विहित किया जाएं ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि "विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार" से ऐसा कोई संव्यवहार अभिप्रेत है जो विहित किया जाए । उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंधित है कि ऐसे संव्यवहारों का इस प्रकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, यथास्थिति, मूल्य या कुल मूल्य पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (7) में यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा (क) उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना है, (ख) सूचना की प्रकृति और वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें सूचना इस उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा रखी जाएगी, और (ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रिपोर्ट योग्य खाते की पहचान के प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी सम्यक् तत्परता को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

अप्रत्यक्ष कर

विधेयक का खंड 90 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में दो नई धाराएं, धारा 15क और धारा 15ख, अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 15क में केंद्रीय सरकार को, उन अवधियों को, जिनके लिए उस समय को जिसके भीतर, वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह प्राधिकारी या अभिकरण जिसे उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सूचना विवरणी प्रस्तुत की जाएगी, विहित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है ।

विधेयक का खंड 106 वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5, जो सेवाकर से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (ग) धारा 67क में, केंद्रीय सरकार को विनिमय दर का अवधारण करने का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए, स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (ञ) धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को कतिपय विषयों की बाबत नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

उक्त खंड का उपखंड (ट) उक्त अधिनियम की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसी किसी कठिनाई को, जो प्रस्तावित विधान द्वारा समाविष्ट संशोधन को क्रियान्वित करने में उत्पन्न हो, दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके और ऐसी शक्ति का प्रयोग विधेयक को अनुमति मिलने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के परे नहीं किया जाएगा ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचना अथवा आदेश जारी किया जा सकेगा, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

3. अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

[श्री अरुण जेटली,
वित्त मंत्री]